

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2679/2022

1. रितेश कुमार ज्योतिषी पुत्र भागीरथ प्रसाद ज्योतिषी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गोला का बास, जिला। अलवर (राजस्थान).
2. राहुल शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट साईवर, तहसील जमवारामगढ़, जिला। जयपुर (राजस्थान).
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री जगन सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम भूमा छोटा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला। सीकर (राजस्थान).
4. सचिन अचरा पुत्र देवी सिंह अचरा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम कटराथल, जिला। सीकर (राजस्थान).
5. गोपेश पुत्र श्याम सुंदर शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम भैंसरावत, पोस्ट-गोविंदगढ़, जिला। अलवर (राजस्थान).
6. सवाई सिंह भाटी पुत्र भंवर सिंह भाटी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी करणी नगर, लालगढ़, जिला। बीकानेर (राजस्थान).
7. शीशराम पुत्र श्री रतन लाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी करंगा बारा, तहसील फतेहपुर, जिला। सीकर (राजस्थान).
8. विकास मीना पुत्र रमेश चंद मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी मौलाई, पोस्ट फर्शापुरा, जिला। दौसा (राजस्थान).
9. तारा चंद रुहेला पुत्र जीता राम रुहेला, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम बैरास, लक्ष्मणगढ़, जिला। सीकर (राजस्थान).
10. सुरेश कुमार महला पुत्र धुकल राम महला, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी श्याम नगर, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).
11. विकाश कुमार जांगिड़ पुत्र श्री ओमप्रकाश जांगिड़, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट दीनवा जाटान, लक्ष्मणगढ़, जिला। सीकर (राजस्थान).
12. विजय सिंह पुत्र मोहन सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मर्दातुचोटी, जिला। सीकर

(राजस्थान).

13. सुनील कुमार पुत्र दीवान सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी हमीरवास, बाड़ा, जिला।
चरू (राजस्थान).

14. विजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र हिम्मत सिंह राठौड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व
पोस्ट हरसोर, जिला। नागौर (राजस्थान).

15. विश्वजीत सिंह चौहान पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम
व पोस्ट पीठ सिमलवाड़ा, जिला। डूंगरपुर (राजस्थान).

16. सुनील कुमार पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी चाचीवाड बारा,
फतेहपुर, जिला। सीकर (राजस्थान).

17. रवीन्द्र शेरावत पुत्र राधेश्याम शेरावत, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी चारणवास,
कलवार, जिला। जयपुर (राजस्थान).

18. उपेन्द्र कुमार व्यास पुत्र रामगोपाल व्यास, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी नाथावालान,
शाहपुरा, जिला। जयपुर (राजस्थान).

19. सुरेश चौधरी पुत्र हनुमान लाल चौधरी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी धीरा जोर्नर,
जिला। जयपुर (राजस्थान).

20. संजय कुमावत पुत्र श्री कैलाश कुमावत, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी लाल कोठी,
जिला। जयपुर (राजस्थान).

21. विमलेश पालावत पुत्र श्री अशोक सिंह पालावत, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी चौधरी
कॉलोनी, सीकर रोड, जिला। जयपुर (राजस्थान).

22. शंकर लाल शर्मा पुत्र हनुमान सहाय शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम व
पोस्ट उदावाला, जिला। दौसा (राजस्थान).

23. सुदर्शन जुगतावत पुत्र श्री अरविंद जुगतावत, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम व
पोस्ट बालोतरा, जिला। बाड़मेर (राजस्थान).

24. गिरधारी लाल शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम
सोखखरी, कठूमर, जिला। अलवर (राजस्थान).

25. विनोद चौधरी पुत्र लक्ष्मण राम जाट, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बिंदायका, जिला। जयपुर (राजस्थान).
26. रवीन्द्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी भूमा बाका, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला। सीकर (राजस्थान).
27. सुरेश कुमार मेघवाल पुत्र श्रवण कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट नेछवा, लक्ष्मणगढ़, जिला। सीकर (राजस्थान).
28. राजेंद्र कुमार पुत्र हीरा राम विश्नोई, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रामदेवरा, जैसलमेर (राजस्थान)।
29. युवराज चौधरी पुत्र श्री बागवान सहाय चौधरी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी अचरोल, जमवारामगढ़, जिला। जयपुर
30. वेद प्रकाश मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी नरावली डांग, सपोटरा, करौली (राजस्थान)।
31. सुरेश विश्नोई पुत्र श्री मंगा राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी सूरसागर, जिला. जोधपुर (राजस्थान).
32. सुरेंद्र कुमार पुत्र चंद्र राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी राणासर, कुचामन, जिला। नागौर (राजस्थान).
33. राकेश कुमार गुर्जर पुत्र प्रेम सिंह गुर्जर, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी नाहरखोरा, सिकराय, जिला। दौसा (राजस्थान).
34. राकेश सैनी पुत्र चतुर्भुज सैनी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी फागी, सायपुर, जिला। जयपुर (राजस्थान).
35. शेर सिंह पुत्र बुध सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट ढाढोली, जिला। अलवर (राजस्थान).
36. चंदन कुमार छंगाणी पुत्र श्री किशन लाल छंगाणी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खैरथल, जिला। अलवर (राजस्थान).
37. राजू लाल यादव पुत्र ग्यारसी लाल यादव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट

फागी, जिला। जयपुर (राजस्थान).

38. विजेन्द्र सिंह राजावत पुत्र महावीर सिंह राजावत, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बसवा, जिला। दौसा (राजस्थान).

39. विनित कुमावत पुत्र शिवजी राम कुमावत, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी किशनगढ़, जिला। अजमेर (राजस्थान).

40. रमेश्वर प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी फ़तेहपुर, दीगोद, जिला। कोटा (राजस्थान).

41. तीर्थेन्द्र चौधरी पुत्र किशना राम चौधरी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी संजय कॉलोनी, जिला। नागौर (राजस्थान).

42. गुलाब सिंह पुत्र श्री दोजी राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खरसाणवी, जिला। अलवर (राजस्थान).

43. राजकुमार जागा पुत्र रघुवीर प्रसाद जागा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी बामनवास, जिला। सवाईमाधोपुर (राजस्थान).

44. संजय सैनी पुत्र कैलाश चंद सैनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मानोसर, बिंदायका, जयपुर (राजस्थान)।

45. राजेंद्र चौधरी पुत्र शंकर लाल चौधरी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी अवनिया बगरू, जिला। जयपुर (राजस्थान).

46. रविभान सिंह राजावत पुत्र चंद्रभान सिंह राजावत, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट टोडाभीम, जिला। करौली (राजस्थान).

47. राजेश पुत्र हीराम शरण, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी भेरूसरी, जिला। हनुमानगढ़ (राजस्थान).

48. विक्रमजीत पुत्र रिछ पाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट ढोलीपाल, जिला। धौलपुर (राजस्थान).

49. विकाश कुमार खंडाल पुत्र हनुमान दत्त शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी काकोर उनियारा, जिला। टोंक (राजस्थान).

50. सुरेंद्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह सोलंकी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला। जोधपुर (राजस्थान).
51. सतीश कुमार पुत्र श्री रामअवतार, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी इंदरसर, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).
52. सूरज प्रकाश बैरवा पुत्र श्री हरिराम बैरवा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट आभानेरी, बसवा, जिला. दौसा (राजस्थान).
53. संजय कुमार पुत्र रूपी राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी बड़ौदाकन, कठूमर, जिला। अलवर (राजस्थान).
54. विष्णु शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी भवन सिटी, जिला। सवाईमाधोपुर (राजस्थान).
55. रवि आसवानी पुत्र राजकुमार आसवानी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी, जिला। पाली (राजस्थान).
56. रितेश कुमार धाकेड पुत्र शंकर लाल धाकेड, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गोपाल निवास, बिजोलिया, जिला। भीलवाड़ा (राजस्थान).
57. विजय पाल सिंह पुत्र अमी लाल, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट चिड़ावा, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).
58. सुरेश कुमार बिश्नोई पुत्र वीरा राम बिश्नोई, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट सियागो की ढाणी, जिला। बाड़मेर (राजस्थान).
59. विकास कुमार पुत्र जगमाल सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मालसर, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).
60. राम सहाय जाखड पुत्र जगदीश प्रसाद जाखड, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी झोटवाड़ा, जिला। जयपुर (राजस्थान).
61. सत्यवान सिंह गुर्जर पुत्र लल्लू राम गुर्जर, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी खेरलावास, हंसमहल, बस्सी, जिला। जयपुर (राजस्थान).
62. राकेश कुमार पुत्र कुंभा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी सीकर धोद, जिला। सीकर

(राजस्थान).

63. राज कुमार मीना पुत्र बाबू लाल मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, जिला। जयपुर (राजस्थान).

64. सरजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी दुदियो वाली सेफरागुवार, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).

65. सोहन सिंह पुत्र श्याम सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट नाडसर, जिला। जोधपुर (राजस्थान).

66. सुमराज सिंह गुर्जर पुत्र अमर सिंह गुर्जर, वृद्ध लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट जटवाड़ा सूरौठ, जिला। करौली (राजस्थान).

67. संजय कुमार राठौड़ पुत्र गिरिराज कुमार राठौड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी गोविंद नगर, देवपुरा, जिला। बूंदी (राजस्थान).

68. रवीन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गाड़ाखेरा, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).

69. विकास सैनी पुत्र बिरदी चंद सैनी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी नाई की थड़ी, लालवास, रामगढ़, जयपुर (राजस्थान)।

70. इरशाद अहमद पुत्र यूसुफ अली खान, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट तबासर, मलसीसर, झुंझुनू (राजस्थान)।

71. सुभाष जांगिड़ पुत्र लालचंद जांगिड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी गोवा होटल, सीकर रोड, हरमारा, जयपुर (राजस्थान)।

72. वीरेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र रंग लाल गुर्जर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी आशिकपुरा, बसवा, जिला। दौसा (राजस्थान).

73. इंदु कुमार साहू पुत्र रघुवीर प्रसाद, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मोहनपुरा, इंदरगढ़, जिला। बूंदी (राजस्थान).

74. सत्यवीर सिंह पुत्र होशियार सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी घरड़ाना खुर्द, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).

75. संजय कुमार पुत्र निहाल सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम तांबा खेड़ी, तहसील राजगढ़, जिला। चूरू (राजस्थान).
76. राहुल जाटव पुत्र भगवती प्रसाद, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बाद पैड, जिला। अलवर (राजस्थान).
77. रामसिंह फागना पुत्र श्री उदय राम गुर्जर, वृद्ध लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बगरू, सांगानेर, जिला। जयपुर (राजस्थान).
78. दीपक कुमार पुत्र महेंद्र कुमार, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट भोजराज का कलगांव, जिला। अलवर (राजस्थान).
79. राकेश कुमार खटीक पुत्र राम चन्द्र खटीक, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रघुनाथपुरा, जिला। चित्तौड़गढ़ (राजस्थान).
80. विशाल रहेजा पुत्र पूरन चंद रहेजा, उम्र लगभग 30 साल, निवासी वार्ड संख्या 10, पुरानी आबादी, कृष्णा मंदिर के पास, जिला। श्रीगंगानगर (राजस्थान).
81. राजेंद्र सिंह पुत्र रामजी लाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट सीठ, तहसील उदयपुरवाटी, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).
82. उमेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट हांसलसर, जिला। झुंझुनू (राजस्थान).
83. सुरेंद्र कुमार पुत्र चंद्रा राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट राणासर, तहसील-कुचामन, जिला. नागौर (राजस्थान).
84. सतेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट नहिला, जिला। धौलपुर (राजस्थान).
85. सुन्दर लाल सैनी पुत्र मंगल राम सैनी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट जयसिंहपुरा, तहसील राजगढ़, जिला। अलवर (राजस्थान).
86. श्रवण सिंह राठौड़ पुत्र महेंद्र सिंह राठौड़, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट सेवारी, तहसील बाली, जिला। पाली (राजस्थान).
87. सुभाष गुर्जर पुत्र श्री राम चन्द्र गुर्जर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट

ठीकरिया, जिला। सीकर (राजस्थान).

88. विनोद सिंह कुशवाह पुत्र श्री सौरभ सिंह कुशवाह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट महवा, जिला। दौसा (राजस्थान).

89. सौरभ बारोट पुत्र दिनेश बारोट, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी बकोटो का मोहल्ला, जिला। सिरोही (राजस्थान).

90. रोहिताश कुमार पुत्र श्री दाता राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गोविंदपुरा, जिला। श्रीगंगानगर (राजस्थान).

91. रवीन्द्र सियाग पुत्र मोहन राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम जगलू, तहसील-नोखा, जिला। बीकानेर (राजस्थान).

92. रोहित खीचड़ पुत्र श्री राजीव खीचड़, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी चक 20, किड, जिला। बीकानेर (राजस्थान).

93. राधेश्याम प्रजापत पुत्र प्रेमा राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, ग्राम व पोस्ट बीदासर, जिला। चूरू (राजस्थान).

94. श्रवण कुमार कांतिवाल पुत्र मूलाराम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट धोद, जिला। सीकर (राजस्थान).

95. राम दत्त पुत्र जगमल सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट पंड्रेउ टिब्बा, जिला। चूरू (राजस्थान).

96. विक्रम प्रजापत पुत्र अशोक कुमार प्रजापत, वृद्ध लगभग 25 वर्ष, निवासी बोजलाल रोड वार्ड चूरू (राजस्थान).

97. राजकुमार गोचर पुत्र देवीलाल गोचर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट समिधि, जिला। बूंदी (राजस्थान).

98. राम निवास पुत्र रामकुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी बरवाली, तहसील नोहर, जिला। हनुमानगढ़ (राजस्थान).

99. राजेश शर्मा पुत्र सत्या नारायण शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी टोल टैक्स, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)।

100. सुमित कुमार बुडानिया पुत्र सुभाष चंद्र, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी लक्ष्मणगढ़, जिला। सीकर (राजस्थान).

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर अपने सचिव के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्व मंडल, अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलेक्टर कार्यालय बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन्स, अजमेर, राजस्थान 305001।
4. ब्रिजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री कालू राम वर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी नगीना मस्जिद के पास, किशनगढ़ रेनवाल, रेनवाल, जयपुर (राजस्थान)।
5. अभिषेक सोनल पुत्र श्री नंदकिशोर सोनवाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 99, न्यू कॉलोनी, माई की थाई, रामगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
6. कृष्ण यादव पुत्र श्री होशियार सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वीपीओ पांथरोली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू (राजस्थान)
7. चिराग कुमार जोशी पुत्र श्री विनोद जोशी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम तालोरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)
8. तेज सिंह बांकावत पुत्र श्री नंद सिंह बांकावत, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी कालोता कुंडल, दौसा (राजस्थान)
9. राज कुमार पुत्र श्री जगमाल सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी बामला की ढाणी, टीटनवार केड., जिला झुंझुनू (राजस्थान)
10. ओम प्रकाश धानका पुत्र श्री शंकर लाल धानका, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम झाई, पोस्ट बड़ के बालाजी, तहसील सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)
11. महावीर सिंह शेखावत पुत्र मोहन सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी केसर नगर,

200 फीट बायपासा, बजरी मंडी, पांच्यावाला, जिला जयपुर (राजस्थान)।

12. निकिता शर्मा पुत्री श्री राम सरन शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 68बी कृष्ण वाटिका ए, जामडोली, आगरा रोड, 12) जिला जयपुर, रोल संख्या 3577334।

13. आशीष मीना पुत्र श्री गोविंद सहाय मीना, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट पीलोदा, जिला सवाईमाधोपुर, रोल संख्या 3313904।

14. अनूप महर्षि पुत्र श्री पूरणमल महर्षि, वृद्ध लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ मोलिशर बारा, तह। चूरु, जिला चूरु, रोल संख्या 3105176।

15. अमृत लाल रोट पुत्र श्री कालू राम रोट, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा, पोस्ट वरदा, द. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, रोल संख्या 3058411।

16. भावेश डेण्डोर पुत्र श्री कालूराम डेण्डोर, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम मडकोला, पोस्ट गोवाडी, तह. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, रोल संख्या 3385528।

17. प्रवेन्द्र कुमार महार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट भोपुर, जिला करौली, रोल नम्बर 3077125।

18. बट्टी लाल बैरवा पुत्र श्री शंकर लाल बैरवा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट चांदली। देवली, जिला टोंक, रोल संख्या 3316150।

19. अशोक भीसा पुत्र श्री बाबू लाल भीसा, उम्र लगभग 21 वर्ष साल, निवासी ग्राम बिजुड़ा, पोस्ट शिशोद, तह. बिच्छीवाड़ा, जिला डूंगरपुर, रोल संख्या 3058692।

20. अर्जुन जांगिड़ पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन रोड, डीडवाना, जिला नागौर, रोल संख्या 3327461।

21. गुड्डी फुलवारिया पुत्री श्री रामनिवास फुलवारिया, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ डीडवाना, तह. लालसोट, जिला दौसा, रोल संख्या 3127100।

22. भैरू राम पुत्र श्री बाबू राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम रियांश्यामदास, पोस्ट जोगी मगरा, वाया गोटन, तह. मेड़ता सिटी, जिला नागौर, रोल संख्या 3109854।

23. अशोक कुमार यादव पुत्र श्री लालाराम यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ भूपसेरा, तह बानसूर, जिला अलवर, रोल संख्या 4019538।

24. मनफूल पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम हनुमानपुरा, पोस्ट डेरवाला, जिला 24) झुंझुनू, रोल संख्या 3954179।
25. रामनिवास भादू पुत्र श्री बहंवर लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ कूडसू, तह नोखा, जिला बीकानेर, रोल संख्या 4453380।
26. विजयपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष 26) वर्ष, निवासी वीपीओ डहरा, तह नदबई, जिला भरतपुर, रोल संख्या 3433249।
27. बाबू लाल सामोता पुत्र श्री माला राम सामोता, उम्र लगभग उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम रानीपुरा, पोस्ट कांसरदा, जाजोद, जिला सीकर, रोल संख्या 3254950।
28. सुमन कुमारी पुत्री श्री हवा सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वीपीओ देवीपुरा, तह राजगढ़, जिला चूरू, रोल संख्या 3492413।
29. कविता वर्मा पुत्री श्री प्रभु लाल बैरवा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी तिरगला मन्टोर, जिला सवाईमाधोपुर, रोल संख्या 3217929।
30. नीता मिश्रा पत्नी श्री अनूप मिश्रा, उम्र लगभग 42 वर्ष साल, निवासी 39 बी लक्ष्मण 2 कुन्हाड़ी, जिला कोटा, रोल संख्या 3675988।
31. लवकुश मीना पुत्र श्री रामसिंह मीना, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी वीपीओ भांकरी, तह मंद्रयाल, जिला करौली, रोल संख्या 3079015।
32. राकेश मीना पुत्र श्री रणजीत मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ छारेड़ा, ढाणी रिंग्या, तह नांगल राजावतान, दौसा, रोल संख्या 3631333।
33. दीपक कुमार प्रजापति पुत्र श्री रामगोपाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम संगरिया, जिला झालावाड़, रोल संख्या 3697576।
34. भगवान सिंह राजपूत पुत्र श्री नत्थू सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी खेड़ा तरफ बहतू, जिला अलवर पिन 321605, रोल संख्या 4015998।
35. गंगा चरण सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी पीराका, जिला भरतपुर पिन 321205, रोल संख्या 3417031।
36. रवीना चौधरी पुत्री श्री नवाब सिंह, वृद्ध लगभग 22 वर्ष, निवासी नगला खटौती, तह

नदबई, जिला भरतपुर, रोल संख्या 3453050।

37. मेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरिमोहन मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी महावीर पुरा, पोस्ट सीसोला, तह नैनवा, जिला बूंदी, रोल संख्या 4074840।

38. दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हेमन्त कुमार, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी आईजी ऑफिस के पीछे, पदम ग्राम गोलबागरोड कृष्णा गागर, जिला भरतपुर, रोल संख्या 3417106।

39. मोती राम पुत्र श्री मदन लाल भाकर, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम नोसरल्या, सरनावाड़ा, तह मकराना, जिला नागौर, रोल संख्या 3879219।

40. रामावतार जाटव पुत्र श्री कल्याण सिंह जाटव, वृद्ध लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम कंजोलिया, कपूरा फूलवाड़ा, तह हिंडौन, जिला करौली, रोल संख्या 3466524।

41. अनिल कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल; उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वीपीओ लाडपुर तह कोटकासिम, जिला अलवर, रोल संख्या 4019774।

42. मनीष शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी दाऊजी मंदिर के पास, वीपीओ- रुदावल, तह- रूपबाए, जिला भरतपुर, रोल संख्या 3046266।

43. बब्लू सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ- देवलेन, तह- टोडाभीम, जिला करौली, रोल संख्या 3134277।

44. दीप चंद गुर्जर पुत्र श्री कैलाश चंद गुर्जर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-सेवारा, पोस्ट-तेवड़ी, तह विराटनगर, जिला जयपुर, रोल संख्या 3474142।

45. सुभाष गुर्जर पुत्र श्री दाताराम गुर्जर, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम रतनपुरा, पोस्ट-कराना, तह नरिनपुर, जिला अटवार, रोल संख्या 4389753।

46. गजेंद्र सिंह राव पुत्र सिरी मोद सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-करौली, पोस्ट सांतिवन, तसील आबूरोड, रोल संख्या 3774798।

47. अजीत कुमार पुत्र श्री लाल चंद, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वीपीओ-माजरी कलाह, तह नीमराना, जिला अलवर, रोल संख्या 4022660।

48. हेम सिंह पुत्र श्री तन सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम लाबरू, पोस्ट बनवार लाई, तह रामसर, जिला बाड़मेर, रोल संख्या 4044040।

49. प्रकाशी मीना पुत्री श्री रामजी लाल मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ संथा बालाजी पाड़ा, तह महवा, जिला दौसा, रोल संख्या 3520252।
50. सचिन मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम रीछौली, पोस्ट मिलकपुर, तह बयाना, पिन 321302, रोल संख्या 3435398।
51. गोविंद मेनारिया पुत्र श्री दीपचंद मेनारिया, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 252/25, पानेरियों की मादड़ी, मनवा खेड़ा, जिला उदयपुर, रोल संख्या 3531679।
52. अंकित कुमार गौतम पुत्र श्री कमलेश कुमार गौतम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ लाडली का बास, तह नांगल राजावतान, जिला दौसा, रोल संख्या 3250144।
53. भवानी सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ बिरकली, तेह नोहर, जिला हनुमानगढ़, रोल संख्या 3154969।
54. धवल चौबिसा पुत्र श्री मोहनलाल चौबिसा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ मोवई, तेह आसपुर, जिला झूंगरपुर, रोल संख्या 3445931
55. दिग्विजय सिंह चौहान पुत्र श्री हरि सिंह चौहान, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी हिम्मत सिंह का गड़ा, तेह गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, रोल नं. 3527961.
56. रणवीर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वीपीओ बारांगना, डीडवाना, जिला नागौर, रोल संख्या 4189510।
57. गुंजन व्यास पुत्र श्री हर्षवर्धन व्यास, उम्र लगभग 33 वर्ष, भावनपुरा केनाल रोड, नीलम नगर के पास, जिला बांसवाड़ा, रोल संख्या 3529909।
58. रवि कुमार पुत्र श्री बच्चू सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम चकनावली, पोस्ट नावली, तेह बयाना, जिला भरतपुर, रोल संख्या 3423561।
59. दीपा मीणा पुत्री श्री बत्तीलाल मीणा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ अजनोती, तेह सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर, रोल संख्या 3340965।
60. बलवीर नैन पुत्र श्री रेवंत राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी नैनों का बास, रिडमलसर पुरोहितन, जिला बीकानेर, रोल संख्या 3293944।
61. चैलेश खटीक पुत्र श्री रमन लाल खटीक, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मेसर्स जय

अम्बे ट्रेडर्स, आशापुरा, परतापुर, जिला बांसवाड़ा, रोल संख्या 3527675।

62. आनंद कुमार मीणा पुत्र श्री कैलाश चंद मीणा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम गुढ़ा मीणा, पोस्ट लालगढ़, जिला जयपुर, रोल संख्या 3008894।

63. बाबू लाल मीणा पुत्र श्री राम लाल मीणा, उम्र लगभग 22 वर्ष, ग्राम भंवरसागर, पोस्ट खिडगी, तेह निवाई, जिला टोंक, रोल संख्या 3316266।

64. मुकेश सिंह पुत्र श्री दारा सिंह उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी वीपीओ शाहजहांपुर, मोहल्ला बाबूदा, नीमराना, जिला अलवर, रोल संख्या 3824733।

65. रीमा गोयल पत्नी श्री शिव कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी बजरंग विहार कॉलोनी, हिनौन रोड, महावा, जिला दौसा, रोल संख्या 3514176।

66. अभिजीत सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ कांतालिया, वाया सोजत रोड, जिला पाली, रोल संख्या 3301787।

---प्रत्यर्थागण

से सम्बद्ध

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3074/2022

सुशील कुमार पुत्र जगदीश चंद्र, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 14 रवि चौक पुरानी आबादी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान 335001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अध्यक्ष, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान के लिए राजस्व बोर्ड, अजमेर अध्यक्ष के माध्यम से
3. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिव, जयपुर के माध्यम से।
4. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, जयपुर के माध्यम से।
- 5 धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री हरफूल यादव उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी वीपीओ नाथारवाला, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

6. राजेश कुमार मीना पुत्र श्री समय सिंह मीना उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी वीपीओ धौलखेड़ा, तहसील महवा, जिला दौसा (राजस्थान)
7. अशोक कुमार यादव पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद यादव उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी वीपीओ बड़नगर, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान)।
8. अभिषेक कुमार शर्मा पुत्र श्री दिनेश चंद शर्मा उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी शिव कॉलोनी, मंडावर रोड, महवा तहसील महवा, जिला दौसा राज।
9. डूंगर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम/पोस्ट सीवड बाड़ी, तहसील धोद, जिला सीकर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3087/2022

राहुल पुत्र विनोद शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 14, खेत्रपाल मंदिर के पास रवि चौक, पुरानी आबादी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान 335001

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्टाफ चयन, अध्यक्ष जयपुर के माध्यम से
2. राजस्थान के लिए राजस्व बोर्ड, अजमेर अध्यक्ष के माध्यम से
3. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिव, जयपुर के माध्यम से
4. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, जयपुर के माध्यम से
5. अशोक कुमावत पुत्र श्री भाकर राम उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी बेरा कंटालिया वीपीओ बालूदा, तहसील जैताराम, जिला पाली (राजस्थान)
6. प्रेम सिंह राठौड़ पुत्र श्री मदन सिंह राठौड़, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम चरकारा तहसील नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)
7. दिनेश सैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद सैन, उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी वीपीओ तोशियाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राजस्थान)

8. बाबूलाल रोलानिया पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद रोलानिया उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ढाणी रहगुनाथवल्ली, वीपीओ कांट, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

9. बंशी लाल भढाला पुत्र श्री शिशुपाल सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी गांव/पोस्ट गणेशपुरा, पोस्ट डूकिया वाया पलसाना, जिला सीकर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3568/2022

योगेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री मथुरा लाल मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवास स्थान मकान संख्या सी-1, नव जीवन संग कॉलोनी, निनवाह रोड बूंदी, जिला-बूंदी, राजस्थान-323001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड, (आरएसएमएसएसबी), राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी), जयपुर।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3606/2022

रोहित कुमार पारीक पुत्र श्री अनिल कुमार पारीक, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 104, कुंडा रोड, पारीक मोहल्ला, सिरसी, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व सचिवालय विभाग, जयपुर (राजस्थान) के

माध्यम से

2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रिस्तरीय सेवा चयन, बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि संस्थान परिसर, दुर्गापुरा जयपुर इसके सचिव के माध्यम से।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4105/2022

पूजा पुत्री श्री दलजीत सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 14, मनोहरी प्लेस, होटल राज इन के पास, बेनाड रोड, दादी का फाटक, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से
2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड, जयपुर, राज्य कृषि संस्थान परिसर, दुर्गापुरा जयपुर, इसके अध्यक्ष के माध्यम से।
3. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर, राज्य कृषि संस्थान परिसर, दुर्गापुरा जयपुर, इसके सचिव के माध्यम से।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4371/2022

1. सुरजीत सिंह पुत्र भंवर लाल कस्वां, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी रामपुरा, तारानगर, जिला चुरू, राजस्थान।
2. दीपक कुमार चौधरी पुत्र लीला राम चौधरी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ रानोठ, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान।
3. शीतल कुमार पुत्र मौहर सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी मोतीराम का नगला, पिपरौवा, धौलपुर, राजस्थान।
4. सुदामा शर्मा पुत्र रतन लाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ पहल, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान।

5. समय सिंह मीना पुत्र ऋषिकेश मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी विलालगे कालागुड़ा, पोस्ट अमरगढ़, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान।
6. योगेश सिंह राजपूत पुत्र महेंद्र सिंह राजपूत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बास कर्णावत, पोस्ट नीमूचाना, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।
7. दिनेश कुमार पुत्र अमर सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम डीनगली, पोस्ट कलगांव, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
8. विष्णु सैनी पुत्र मुरारी लाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ढाणी बोरी कोठी, वीपीओ हरसोरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।
9. राहुल पुत्र गोरधन सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम डाइका, पोस्ट पुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
10. तनिष्क मिश्रा पुत्र नीरज मिश्रा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी क्वार्टर संख्या 61, 62, बसंत भवन, फरीदाबाग कॉलोनी, भगवान गंज, अजमेर, राजस्थान।
11. रवीन्द्र पुत्र लाला राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ गढ़बसई, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4555/2022

1. सच्चिदानंद अभिनंदन पहाड़िया, पुत्र श्री महेश प्रसाद गौतम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गोपाल जी मंदिर के पीछे, ग्राम पोस्ट बनेठा, थीसिल उनियारा, जिला टोंक राजस्थान
2. शांति लाल पुत्र श्री बाबू राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 180, शरहदी बेरे, जिला जालोर, राजस्थान।
3. सत्य प्रकाश नागर पुत्र श्री मेघराज नागर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी दीपपुरा, वीपीओ बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान।
4. ऋषभ माथुर पुत्र श्री राधा मोहन माथुर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 3/42, नगर निगम कॉलोनी, आमेर रोड, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. सुनील कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद्र, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़सर, पोस्ट बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
6. सुभाष पाटीदार पुत्र श्री खेमजी पाटीदार, वृद्ध लगभग उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम उदैया, पोस्ट सिलोही, तहसील गलियाकोट, जिला झूंगरपुर, राजस्थान।
7. इंद्रजीत सिंह शक्तावत पुत्र श्री राजेंद्र सिंह शक्तावत, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी रावला स्ट्रीट रावला कॉलोनी, जिला उदयपुर, राजस्थान।
8. सहदेव सिंह राठौड़ पुत्र श्री रणवीर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ई-90, अग्रसेन नगर, चुरू, जिला चुरू, राजस्थान।
9. रौनक पाटीदार पुत्र श्री परमेश्वर पाटीदार, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीपीओ माडलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।
10. राज कुमार मीना पुत्र श्री रमेश चंद मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम तिगरिया, पोस्ट सांचोली, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर राज्य राजस्थान
11. सुनील कुमार पुत्र श्री राजवीर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ सिरसली, पोस्ट दुधवा खारा थाना सिरसली, चुरू, राजस्थान।

12. सत्यवीर पुत्र श्री मोहर सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम हनुतपुरा, पोस्ट लालपुर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
13. यकीन जानी पुत्र श्री कमलेश जानी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट पालोदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।
14. सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी लाल शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी एकलिंगपुरा, पो कलड़वास, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान।
15. वेद प्रकाश महावर, पुत्र श्री मुरारी लाल महावर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, मंडावरा रोड, पटेल नगर, हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान।
16. रामकुमार पुत्र श्री तुलछाराम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी चक 301, वीपीओ रोझण, तहसील लूणकर्णसर, जिला बीकानेर, राजस्थान।
17. विकास कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम घोतरा पट्टा, पोस्ट कुंजी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
18. रुधा राम भादू पुत्र श्री ओम प्रकाश भादू, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 6, भादुओ का मौहल्ला, रामसरा, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, राजस्थान।
19. रामधन शर्मा पुत्र श्री भगवाना राम शर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ रामसीसर भेड़वालिया, तहसील सरदारशहर। जिला चूरू, राजस्थान।
20. सुनील कुमार पुत्र श्री प्रहलाद, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम गादिया, पोस्ट गादिया, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा, राजस्थान।
21. श्री राम भाकर पुत्र श्री सुरजीत कुमार भाकर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम चक 37 एमएमके, पोस्ट मोरजंड खारी, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर, राजस्थान।
22. रामनारायण मीना पुत्र श्री अर्जुन लाल मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीपीओ इंगरपुर, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान।
23. राम चंदर पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गुवालागढ़, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
24. रजनीश कुमार पुत्र श्री अशोक जी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी आईटीआई रोड, शनि

मंदिर के पास, शांतिपुर, जिला सिरोही, राजस्थान।

25. राज कुमार पुत्र श्री सांवर मल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी गुर्जरों की ढाणी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

26. राकेश गहलोत पुत्र श्री गमंदा राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गहलोत रिवीडिंग वर्कशॉप, बस स्टैंड सोयला, जिला जोधपुर, राजस्थान।

27. राकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम बामनवास, पोस्ट चतुर्भुज, कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

28. रवीन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री ईश्वर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ ओबरी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

29. यश जैन पुत्र श्री राजेश कुमार जैन, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ ओबरी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

30. रिकू कुमार मीना पुत्र श्री मेघराज मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम मीना बड़ौदा, तहसील वजीरपुर, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

31. विनोद कुमार पुत्र श्री ऊंकार मल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ढाणी निठारवालों की, ग्राम पुजारी का बास, पोस्ट बस्सी, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान।

32. रवि सैनी पुत्र श्री चरणजी लाल सैनी, उम्र लगभग 27 वर्ष, नया बास, वार्ड संख्या 22, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान।

33. संदीप कुमार पुत्र श्री जय सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ जनाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

34. त्रिलोक सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ आलासन, तहसील जालोर, जिला जालोर, राजस्थान।

35. सोहन लाल बैरवा पुत्र श्री छीतर लाल बैरवा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम मनराजपुरा, पोस्ट पंचोलाश, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

36. उम्मेद सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी, सिवेरा, सिवेरा पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान।

37. राघवेन्द्र पुत्र श्री बालेश्वर सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ नादोती, जिला करौली, राजस्थान।
38. श्याम लाल धाकड़ पुत्र श्री भेरू लाल धाकड़, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 55 वर्ष, राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम अकोदिया, कुंवालिया, गंगरार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
39. विजय सिंह खोखर पुत्र श्री हेमराज खोखर, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम डाकीपुरा, पोस्ट धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।
40. विजय सैन पुत्र श्री विनोद कुमार सैन, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 214 न्यू कॉलोनी, चंवरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
41. राजेश पुत्र श्री प्रहलाद राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वी/पी. कुरी, तहसील भोपालगढ़, जोधौर, राजस्थान।
42. रोहित सियाग पुत्र श्री मदन लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ओ.पी. बालाजी अस्पताल, उत्तरलाई रोड, बलदेव नगर, बाड़मेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
43. राजकुमार शर्मा पुत्र श्री हीरा लाल शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 31/73 प्रताप नगर, सेक्टर- 3, सांगानेर, जयपुर राजस्थान।
44. राजेश कुमार मीना पुत्र श्री उमेदी लाल मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ करणपुरा, तहसील रेनी अलवर, जिला अलवर, राजस्थान।
45. यशवन्त कुमार त्यागी पुत्र श्री गणपत लाल त्यागी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 45, बड़े मंदिर के पास, वीपीओ सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
46. श्री राम चौधरी पुत्र श्री खिवाराम चौधरी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ निमोद तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।
47. सूरज मोहन मीना पुत्र श्री मीठा लाल मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम रलावता, पोस्ट गरुड़वासी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।
48. विकास कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शाइ शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 99, प्रेम नगर, गुर्जर की थड़ी, एनएस रोड, सोडाला, जिला जयपुर, राजस्थान।
49. राहुल लखोटिया पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वन कार्यालय के

पास, थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

50. राधा रमण मीना पुत्र श्री श्रीपाल मीना, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी महादेव का कुआं, रूप बास, जिला अलवर, राजस्थान।

51. रविंदर कुमार गोदारा पुत्र श्री कृष्ण लाल गोदारा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी जाट कॉलोनी, अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

52. राम सिंह भाटी पुत्र श्री मोहन सिंह भाटी, वृद्ध लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 1, जिला बीकानेर, राजस्थान।

53. सुशील कुमार फोगावत पुत्र श्री प्रभु दयाल फोगावत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसली, पोस्ट रु. दूधवाखारा, जिला चूरु, राजस्थान।

54. विकाश कुमार सहारण पुत्र श्री गोपी राम, वृद्ध लगभग 24 वर्ष, ग्राम लोहसना बड़ा, तहसील चूरु, जिला चूरु, राजस्थान का निवासी।

55. राजेंद्र कुमार पुत्र श्री रामदयाल रेगर, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 92, रेगर मोहल्ला, गुडलिया, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर, राजस्थान।

56. रजनी अग्रवाल पुत्री श्री नरेश कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 60 फीट रोड, आजाद नगर, मूर्ति कॉलोनी, जिला अलवर, राजस्थान।

57. विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री रामफल मीना, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वीपीओ बामनवास बड़ा थोक, तहसील थोक बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

58. शाहरुख खान पुत्र श्री जफर अली, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 14, गोरियान मस्जिद बिसाऊ के पास, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

59. विक्रम पुत्र श्री गोवा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव दांता, तहसील सांचौर, जिला जालोर, राजस्थान।

60. रामनिवास प्रजापत पुत्र श्री ख्यालीराम, वृद्ध लगभग उम्र 23 वर्ष, बिल्यूबास रामपुरा, बिलूण बास रामपुरा, तहसील सरदारशहर, जिला चूरु, राजस्थान का निवासी।

61. राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कैलाश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ फूटोलाव, वाया आंधी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

62. सागर सिंह पँवार पुत्र श्री भंवर सिंह पँवार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी म.नं. 1 सामुदायिक भवन मार्ग, ग्राम फ़तेहपुर, तहसील ब्यावर सुहावा, जिला अजमेर, राजस्थान।
63. तपेन्द्र धायल पुत्र श्री किशना राम धायल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम मुंडी, पोस्ट गेलोली, तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान।
64. रोशन जांगिड़ पुत्र श्री नंदकिशोर जांगिड़, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम ईबरा, पोस्ट रायथल, जिला बूंदी, राजस्थान
65. राहुल कुमार मीना पुत्र श्री ओम प्रकाश मीना, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ भूपसेरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।
66. रवि मेवाड़ा पुत्र श्री ब्रजराज, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ गोठियाना, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।
67. राम प्रसाद पुत्र श्री मेवा राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम सिकरोरी, पोस्ट करणपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
68. रामनिवास चांदीवाल पुत्र श्री हीरा लाल चांदीवाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम गुढामीन सिंह, पोस्ट भैंसावा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।
69. विनोद कुमार पाटीदार पुत्र श्री कैलाश चंद पाटीदार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वीपीओ सरोनिया, तहसील पिरावा, जिला झालावाड़, राजस्थान।
70. शुभम् पुरोहित पुत्र श्री दिनेश पुरोहित, वृद्ध लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम बोदियाना, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
71. राम निवास जाखड़ पुत्र श्री पूरा राम जाखड़, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ रीरी, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान।
72. रमेश कुमार पुत्र श्री सवाई राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी उटाल शेओ बाडमेर, जिला बाडमेर, राजस्थान।
73. राकेश शर्मा पुत्र श्री कुरदा राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ कोलिंडा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
74. राम बाबू नागर पुत्र श्री राम गोपाल नागर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी शिव मंदिर

चौक, कुम्हार मोहल्ला, सुनेल, झालावाड़, राजस्थान।

75. रतन सिंह पुत्र श्री मंगू सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी तेजपाला, जिला जैसलमेर, राजस्थान।

76. विकाश कुमार पुत्र श्री संतोष शर्मा, वृद्ध लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम बणई, पोस्ट बागरी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

77. वरुण मिड्डा पुत्र श्री संदीप, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 17, पुरानी अदालत के पास पीलीबंगन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

78. रजत कुमार पुत्र श्री केवल जिंदल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 17 पीलीबंगन, अंबिका वाटर फिल्टर प्लांट के पास, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

79. घनश्याम सैनी पुत्र श्री हरि राम सैनी, वृद्ध लगभग उम्र 27 वर्ष, निवासी बाबा जी की कोठी, वीपीओ मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान।

80. राहुल कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 88, कन्हैया लाल की दुकान के पास, इंद्रपुरिया, केशोराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान।

81. विनोद कुमार पुत्र श्री शीशपाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा, पोस्ट कुंजी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

82. सुदर्शन शर्मा पुत्र श्री हरि प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी न्यू बागरा कॉलोनी, डीडवाना रोड, कुचामनसिटी, नागौर (राजस्थान)

83. रामचरण मीना पुत्र श्री खनाहाया लाल मीना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मोती वाली ढाणी, रेलवे स्टेशन के पास, दौसा (राजस्थान)।

84. रोशन लाल सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी, वृद्ध लगभग 24 वर्ष, निवासी ढाणी कानूवाली, गांव व पोस्ट मंडा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान)

85. सुनील कुमार प्रजापत पुत्र श्री मंगेज कुमार प्रजापत, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ज्योति नगर, जयपुर रोड बाई पास तिराहा, तहसील व जिला दौसा (राजस्थान)

86. विक्रम लाल मीना पुत्र श्री बट्टी लाल मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम कानेटी, पोस्ट व तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राजस्थान)

87. विपिन कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ढाणी बैनाड़ा, ग्राम हमीरपुर, पोस्ट सामरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान)
88. विकास मीना पुत्र श्री दानाराम मीना, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट कोटड़ी लुहारवास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)
89. शुभम कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 04, खाटूश्याम जी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)
90. राकेश मीना पुत्र श्री साहब लाल मीना, वृद्ध लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम चमावली, पोस्ट उतराना, तहसील इंद्रगढ़, जिला बूंदी (राजस्थान)
91. सुभाष चंद्र ढाका पुत्र श्री नेमी चंद्र ढाका, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, वार्ड संख्या 33, रवि पब्लिक स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राजस्थान)
92. विनोद कुमार यादव पुत्र श्री पन्ना लाल यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 4/237, स्वामी विवेकानन्द नगर, जिला कोटा (राजस्थान)
93. शंकर लाल मीना पुत्र श्री छोटू राम मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम भगवान का बास, राम नगर, कोटखावदा, जयपुर (राजस्थान)
94. तुलसीराम मीना पुत्र श्री रामकरण मीना, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम कुआगांव, पोस्ट बिचपुरी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
95. तरुण कुमार सिंघल पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी भगवती गर्ल्स स्कूल के पास, लता हाउस वाली गली, उदय मोड, गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर (राजस्थान)
96. विनोद कुमार पाटीदार पुत्र श्री पुरुषोत्तम पाटीदार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय,

जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4622/2022

1. विश्वनाथ सिंह पुत्र किशन पाल सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट भनोखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर।

2. श्याम सिंह पुत्र भवानी सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी पी.नं. 160, सालासर वाटिका-द्वितीय, निवारू रोड, भारत गैस गोदाम के पास, झोटवाड़ा, जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर।

2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर अपने सचिव के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

3. राजस्व मंडल, जयपुर अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलेक्टर कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन्स, अजमेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4900/2022

1. सुनील कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान संख्या बी-13, आर.टी.ओ. के पीछे। कार्यालय, छत्रपुरा कॉलोनी, जिला कोटा (राजस्थान)

2. विष्णु चौधरी पुत्र श्री बाबू लाल चौधरी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी खोखरो की ढाणी, हाथोज, कलवार रोड, जयपुर (राजस्थान)

3. राजाराम मीना पुत्र श्री जगदीश मीना, वृद्ध लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम खेड़ा, पोस्ट खेड़ी, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)
4. सुरजान निठारवाल पुत्र श्री गोदू राम निठारवाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी सारण की ढाणी, ग्राम गजाधरपुरा, कलवार रोड, जयपुर (राजस्थान)
5. संजय सिंह सिसौदिया पुत्र श्री जब्बर सिंह सिसौदिया, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मातेश्वरी कॉलोनी, मेड़ता रोड, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4904/2022

1. राधे श्याम मीना पुत्र श्री रामकरण मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी नई कोठी की ढाणी, ग्राम बड़ी का बास, पोस्ट बीलवा, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. शैलेन्द्र सिंह राव पुत्र श्री विजय सिंह राव, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी नई कोठी की ढाणी, ग्राम व पोस्ट बोयाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राजस्थान)
3. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार, वृद्ध लगभग 25 वर्ष, निवासी 23 पं. खोखरावाली, तहसील अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
4. सांवर लाल मुंडोतिया पुत्र श्री कन्हैया लाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास रागरान मौहल्ला सांवतसर, जिला अजमेर (राजस्थान)
5. विनोद कुमार पुत्र श्री कुशल राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी चक 32 किड,

खाजूवाला, जिला बीकानेर (राजस्थान)

6. उमेश पूर्बिया पुत्र श्री सुरेश पूर्बिया, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी नरहिंगपुरा, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राजस्थान)

7. रामसिंह बैरवा पुत्र श्री नन्द लाल बैरवा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी बैरवा ढाणी, पोस्ट गोलाकाबास, तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

8. विकास पुत्र श्री मनीराम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम अमरपुरा, पोस्ट भुवारी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4926/2022

1. शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 178, पृथ्वीराज नगर, विधास्थली स्कूल के पास, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर।

2. सुरेश विश्णोई पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम। - खेजड़ली कल्लां, तहसील - लूणी, जिला जोधपुर।

3. शोभा राम गुर्जर पुत्र श्री कालू राम गुर्जर, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम जेठल्या, पोस्ट खरेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

4. सत्येन्द्र पुत्र श्री रतन लाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ बडेट, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

5. उग्रसेन मीना पुत्र श्री श्यो राम मीना, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ नेवार ढाणी - कनखा की वाया - बांसखो, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
6. विकास पुत्र श्री सत्यवीर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वीपीओ - मालीगांव वाया - बागड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।
7. विकास मीना पुत्र श्री ओम प्रकाश मीना, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम रामजीपुरा, पोस्ट खारियावास, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर।
8. वेदप्रकाश शर्मा पुत्र श्री योगेश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बसेरिया भवन, सैपऊ रोड, बाड़ी, जिला धौलपुर।
9. विशाल लाटा पुत्र श्री पवन कुमार लाटा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 13, पांचो का मोहल्ला, थोई, जिला सीकर।
10. रवीन्द्र यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी शानपो की ढाणी, डूंगरसी का बास, पोस्ट करणसर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
11. सतीश मीना पुत्र श्री जगन्याराम मीना, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी दंतवार दंतिया कठूमर, जिला अलवर।
12. विजय कुमार खटीक पुत्र श्री रामनिवास, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 11, महादेव रोड, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
13. रामनिवास शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी बागड़ो की ढाणी, ग्राम चांचुक्य, पोस्ट मल्हाला, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
14. श्याम सुन्दर खटीक पुत्र श्री सुरेश कुमार खटीक, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी कानोर गेट के बाहर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़।
15. शिवदत्त बिश्नोई पुत्र श्री इंद्र कुमार बिश्नोई, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 11, चक 8 किड, जिला बीकानेर।
16. राजकुमार माली पुत्र श्री आशाराम माली, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी 76, नाथूखेड़ी, डाबड़ा, प्रतापगढ़।
17. योगेश कुमार पुत्र श्री लेखराम गोदारा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ

राजियासर, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर।

18. इन्दर कुमार सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मालियों का मौहल्ला, वार्ड नं. 2, टोडारायसिंह, टोंक।

19. वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री नरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ-भुंवाला, तह. - धोद, जिला. -सीकर.

20. सुनील कुमार पुत्र श्री पार्थवी सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वीपीओ ढाणी छोटी पोस्ट सिधमुख, तहसील राजगढ़, जिला चूरू।

21. विशाल चौधरी पुत्र श्री सागर मल खड्डा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 01, गांव लामियान, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

22. सुभाष चंद्र पुत्र श्री शंकर लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, वार्ड संख्या 14, बुधवालिया, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

23. रोशन चौधरी पुत्र श्री जगदीश चौधरी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी हेमावली ढाणी, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, भांकरोटा, जिला जयपुर।

24. राजा राम उज्जवल पुत्र श्री बाबू लाल उज्जवल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी रायगरो का मौहल्ला, गांव व पोस्ट कलमण्डा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

25. सुमित श्रीवास्तव पुत्र श्री राजकुमार श्रीवास्तव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी एफ-6, किरण विहार, त्रिवेणी नगर के पास, जयपुर।

26. रोहित गुर्जर पुत्र श्री राधा किशन, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम। बांसखेड़ा, पोस्ट देवरी, जोध, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां।

27. राजेश कुमार मीना पुत्र श्री पप्पू राम मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम। - कोरडा कलां, पोस्ट- गुमानपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

28. सुनील कुमार पुत्र श्री बलवीर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीपीओ भोमपुरा, 16 एजी, हनुमानगढ़।

29. श्री राम मील, पुत्र श्री धन्ना राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम उदयपुरा, पोस्ट मोहनपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

30. रविकान्त शर्मा पुत्र श्री कमलेश शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी खेरातीमल धर्मशाला, सरकार के पीछे। अस्पताल, भवानी मेडिकल के पास, जिला अलवर।
31. रमेश कुमार मोटसरा, पुत्र श्री मूलाराम मोटसरा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी बी-92, आर.के. पुरम कॉलोनी, जयपुर रोड जिला बीकानेर।
32. तरूण कुमार पुत्र श्री गणेशाराम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मेघवालॉ का वास, सेदरिया बालोतान, पोस्ट पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
33. विश्राम कुमार बलाई पुत्र श्री रामकिशोर बलाई, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ-तिलवार, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।
34. राजेंद्र प्रसाद मीना पुत्र श्री देवकरण मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ सुरेर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।
35. सांवर मल ढाका, पुत्र श्री बागा राम ढाका, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम बालूपुरा, पोस्ट खोरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
36. संजय कुमार मीना पुत्र फतेह सिंह मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी डी-56, गायत्री नगर, दौसा।
37. राज पाटीदार पुत्र कुबेर पाटीदार, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी एमपी। सिलोही, तहसील गलियाकोट, डूंगरपुर।
38. श्रवण कुमार पुत्र श्री राजू राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम भोजाकोर, वाया पीलवा, तहसील देचू, जिला जोधपुर।
39. सौरभ मिश्रा पुत्र श्री भरत लाल मिश्रा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गोपाल नगर, वार्ड संख्या 25, बसवा रोड, बांदीकुई, जिला दौसा।
40. रतन सिंह पुत्र श्री परबत सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 193, सांतो का मौहल्ला, सेनई तहसील लूनी, जिला जोधपुर।
41. सत्यनारायण जांगिड़ पुत्र श्री श्रवण लाल जांगिड़, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम गोपीपुरा कॉलोनी, पोस्ट अम्बापुरा दौलता, तहसील देवली, जिला टोंक।
42. तुलसीराम प्रजापत पुत्र श्री सीताराम कुम्हार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी कुम्हार

मोहल्ला, भाडोती भड़कोली, सवाई माधोपुर।

43. सुरेंद्र सिंह शेखावत पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्रामचंवारा वाया पोंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

44. योगेश मीना पुत्र श्री हुकम चंद, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम-नीमोदा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा।

45. रमेश चंद्र पाटीदार पुत्र श्री मावजी पाटीदार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ डेचा, तहसील सागवाड़ा, जिला झूंगरपुर।

46. विकास गौड़ पुत्र श्री तारा चंद शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 74, ठोलियों का मोहल्ला, त्योड़ा, जिला जयपुर।

47. राजदीप सिंह चौहान पुत्र श्री खंगार सिंह चौहान, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम थोरिया, पोस्ट गजपुर, तेल- कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद।

48. शिवराज कुरैच पुत्र श्री बीरम देव कुरैच, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम पृथ्वीराज खेड़ा, पोस्ट गोला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4927/2022

1. प्रियंका छीपा पुत्री मिट्ठन लाल छीपा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मेन मार्केट थानागाजी, अलवर।

2. रामस्वरूप मीना पुत्र श्रवण लाल मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, पो0-डेरा बामनवास, थानागाजी, जिला अलवर।

3. रमेश यादव पुत्र श्री राम कुमार यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ किरूर,
जिला अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर,
राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5054/2022

1. रूपचंद मीना पुत्र जयराम मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम शेरगंज, पोस्ट
गुड्डा, तहसील इंदरगढ़, जिला बूंदी, राजस्थान।
2. संदीप सिंह पुत्र बूटा सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 03, वीपीओ
रामसरा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. रवि सिसौदिया पुत्र जगदीश सिसौदिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी नदी किनारा
मोहल्ला, आबू रोड, सिरौही, राजस्थान।
4. यश शर्मा पुत्र चंद्र किशोर शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी शांति भवन, छाजू सिंह
गेट, अलवर, राजस्थान।
5. रवि कुमार पुत्र चेत राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ ढोर, तहसील बसेरी,
जिला धौलपुर, राजस्थान।
6. सवाई लाल पुत्र जगदीश चंद, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी मालियों के वास, शास्त्री
नगर, बाडमेर, राजस्थान।
7. रवि कांत जोशी पुत्र बांके लाल जोशी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी कीर कॉलोनी, चंदा
सिनेमा के सामने, टोंक, राजस्थान।
8. विशाल पंवार पुत्र भोज राज पंवार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गायत्री मंदिर के पीछे,
गिन्नाई, बीकानेर, राजस्थान।

9. सुरेंद्र वर्मा पुत्र राम करण वर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान संख्या 4/197, रंगबाड़ी, जिला कोटा, राजस्थान।

10. श्रवण कुमार पुत्र माना राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम भुटेल, पोस्ट देवड़ा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5108/2022

1. सलीम अली पुत्र श्री मुराद अली, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम सुनारी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

2. राकेश कुमार यादव पुत्र श्री मंगल राम यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम बिचपुरी, पोस्ट बीजवार नरूका, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राजस्थान)

3. सतीश कुमार पुत्र श्री हरजान, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम अलीपुर, पोस्ट बासनी, तहसील मुंडावर, जिला अलवर (राजस्थान)

4. विष्णु मालव पुत्र श्री जगदीश मालव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 30, मेन रोड, हनुवत खेड़ा, पोस्ट चाचोरा, जिला बारां (राजस्थान)

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5109/2022

1. सुरेश कुमार रेगर पुत्र श्री ग्यारसी लाल, वृद्ध लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खिरिया, तहसील सरवर, जिला अजमेर (राजस्थान)
2. विजय पाटीदार पुत्र श्री कचरू पाटीदार, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी पादरा, जिला झूंगरपुर (राजस्थान)
3. विजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री लाल गुर्जर, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम भांची, पोस्ट देवली, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)
4. राकेश कुमार बैरवा पुत्र श्री गोपीराम बैरवा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुरा, पोस्ट सिकंदरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राजस्थान)
5. गौरव सिंह पुत्र श्री हरि पाल सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट शाहजहाँपुर तहसील नीमराणा, जिला अलवर (राजस्थान)
6. सोहन दास वैष्णव पुत्र श्री हुक्मी दास वैष्णव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम मावली डांगियान, पोस्ट बाठरड़ा खुर्द, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राजस्थान)
7. युवराज सिंह राठौड़ पुत्र श्री ईश्वर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट टोकवारसा, तहसील आसपुर, जिला झूंगरपुर (राजस्थान)
8. सौरभ यादव पुत्र श्री सियाराम यादव, वृद्ध लगभग 26 वर्ष, निवासी 72, रामरतन जी

यादव वाली गली, ग्राम व पोस्ट मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राजस्थान)

9. सुनील करीर पुत्र श्री गुमना राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 05, कूडसू, जिला बीकानेर (राजस्थान)

10. राजपाल बंसीवाल पुत्र श्री राम लाल बंसीवाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी खैरी कोठी, सैलावत मोहल्ला, गौशाला रोड, दौसा (राजस्थान)

11. विक्रम सिंह पुत्र श्री रिडमल सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी खासरवी, केसूरी, चितलवाना, जिला जालोर (राजस्थान)

12. राम सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 63, शक्ति नगर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान)

13. संजय कुमार सैनी पुत्र श्री सूरजमल सैनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ढाणी जलपानी, गांव व पोस्ट मुंडरू, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

14. सतीश कुमार टेलर पुत्र श्री दयालाल टेलर, वृद्ध लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बस्सी आड़ा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

15. सोहन सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बिशन सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी खेतेश्वर मंदिर के पिचे, खेतेश्वर बस्ती, गंगाशहर, जिला बीकानेर (राजस्थान)

16. राकेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बिशन सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी खेतेश्वर मंदिर के पीछे, खेतेश्वर बस्ती, गंगाशहर, जिला बीकानेर (राजस्थान))

17. विशाल पाटीदार पुत्र श्री गौतमलाल पाटीदार, वृद्ध लगभग 29 वर्ष, निकट डी.पी.एस. का निवासी। स्कूल, डूंगरपुर (राजस्थान)

18. सागर गोरला पुत्र श्री विष्णु जी गोरला, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पीछे, वार्ड संख्या 18, बांदीकुई, जिला दौसा (राजस्थान)

19. रेखा राम पुत्र श्री मागा राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी गुगारी पाना, बागुण्डी, तिलवाड़ा, जिला बाडमेर (राजस्थान)

20. श्रवण सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, वृद्ध लगभग उम्र 25 वर्ष, निवासी बाबोकी धानिया, दुंढारिया ओसियां, जिला जोधपुर (राजस्थान)

21. राजेश टाक पुत्र श्री महेन्द्र सिंह टाक, वृद्ध लगभग उम्र 31 वर्ष, निवासी 163/27, गद्दीमालियान, जिला अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5221/2022

शीशपाल पारीक पुत्र श्री महावीर प्रसाद, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी बारा बास, गांव व पोस्ट गोगासर, रतनगढ़, जिला। चूरू (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव के माध्यम से, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर, राज्य कृषि संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर अपने सचिव के माध्यम से।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5265/2022

1. रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सांवर मल यादव, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी मेहरा वाली कोठी, जैन मंदिर के पास, गोविंदगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

2. विश्राम प्रजापत पुत्र श्री छीतरमल प्रजापत, वृद्ध लगभग उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम हिंगोनिया, पोस्ट बूर्थल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राम चरण मीना पुत्र श्री रती राम मीना, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी राजपुरिया का नगला, तहसील कठूमर, पो. सोनखरी, जिला अलवर।
4. विशाल पाटीदार पुत्र श्रीराम प्रसाद, उम्र लगभग 26 साल, निवासी पाटीदार धर्मशाला के सामने, डग रोड, गुराड़िया जोगा, जिला झालावाड़।
5. सुरेश नागर पुत्र श्री लक्ष्मी लाल, उम्र लगभग 23 साल, निवासी भोपा की डोली, राजसमंद जिला राजसमंद।
6. रामनिवाश पुत्र श्री प्रताप सिंह, उम्र लगभग 26 साल, निवासी चांगोई, तारानगर, जिला चूरू।
7. संदीपकुमार छबरवाल पुत्र श्री भगवानाराम छबरवाल, उम्र लगभग 23 साल, निवासी वीपीओ पेवा धोद, सीकर।
8. राजेंद्र सिंह पुत्र श्री गोविंद राम जाट, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम गडरी, पोस्ट बधाल, तहसील की। रेनवाल, जिला जयपुर।
9. योगेश पटेल पुत्र श्री वालेंग पटेल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ नागवाड़ा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।
10. विपिन पाटीदार पुत्र श्री रामशंकर पाटीदार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वीपीओ वांडरवेड वाया भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
11. राम किशोर चौधरी पुत्र श्री उगमा राम चौधरी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम उजोली पोस्ट कोटड़ी, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।
12. सूरत सिंह पुत्र श्री गिरवर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ बरसिंहपुरा, वाया। पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
13. योगेन्द्र कुमार नागर, पुत्र श्री भवर लाल नागर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी खानपुरिया, पोस्ट सकतपुर, तहसील अटरू, जिला बारां।
14. तारा चंद पुत्र श्री बगता राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी महिंगोणी मूढों की ढाणी,

लीलाला बायतु पनजी, जिला बाडमेर।

15. विकास कुमार सामोता पुत्र श्री दलवीर सिंह सामोता, उम्र लगभग 23 साल, निवासी ढाणी सामोता वाली, वार्ड संख्या 7, रींगस, जिला सीकर

16. संजू गोदारा पुत्र श्री जसराम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ बीदासर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

17. सिद्धार्थ शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी कृषि उपज मण्डी के पीछे, नारायणपुर, तहसील थानागाजी, अलवर

18. राहुल शर्मा पुत्र श्री मूलचंद शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम चांदपुरी, पोस्ट गढी मामोर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

19. शिंभू दयाल प्रजापत पुत्र श्री कजोर मल प्रजापत, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी पंचायत समिति के सामने, गोविंदगढ़, चौमू, जिला जयपुर।

20. विकाश कुमार पुत्र श्री रामसुख, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम खोरू, पोस्ट जसरासर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।

21. श्रवण सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी राजपुरोहितो का वास, माताजी वाड़ा बाली, जिला पाली।

22. सुनील कुमार मीना पुत्र श्री सुवा लाल मीना, उम्र लगभग 24 साल, निवासी वीपीओ रुंडल वाया मोरिजा तहसील आमेर जिला जयपुर।

23. विनोद सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी कालोता, झुंझुनू।

24. विष्णु सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम बन का खेड़ा, पोस्ट रीण्डलिया रामपुरा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

25. विजय कुमार वर्मा पुत्र श्री बाबूलाल वर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 31-बी, गणेश नगर, श्योपुर सांगानेर, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम

से। (राजस्थान)

2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5299/2022

1. शैलेश पंचोली पुत्र श्री प्रदीप कुमार पंचोली, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 561, विजय नगर, वि.म. रोड, अलवर (राजस्थान)

2. शंकर कुमार शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी 20 मठ के पास, ग्राम व पोस्ट बोटुन्दा वाया देवली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राजस्थान)

3. सुरेंद्र महावर पुत्र श्री सीताराम महावर, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 624/30, शिव कॉलोनी, कच्ची बस्ती, बाई जी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान)

4. संजय कुमार बंशीवाल पुत्र श्री प्रभु लाल बंशीवाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम सेंदियावाश, पोस्ट पनवार, तहसील देवली, जिला टोंक (राजस्थान)

5. टीकूराम मेघवाल पुत्र श्री भगवानाराम, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मांडली सांवरागांव, तहसील बाप, जिला जोधपुर (राजस्थान)

6. रिकेश पंड्या पुत्र श्री अमृत लाल पंड्या, वृद्ध लगभग उम्र 31 वर्ष, निवासी निचला फला, गांव व पोस्ट आंजना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट

कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5384/2022

सुरेंद्र पुत्र रामनिवास, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी धुना की ढाणी, पोस्ट बारना, तहसील डेगाना, जिला नागौर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर अपने सचिव के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. राजस्व मंडल, जयपुर, इसके सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलेक्टर कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन्स, अजमेर राजस्थान।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5466/2022

1. संपत मोरदिया पुत्र श्री अशोक कुमार मोरदिया, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 26, देव गैस गोदाम के पास, सीकर (राजस्थान)
2. सुरेंद्र नागर पुत्र श्री भंवर लाल नागर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बिशन खेड़ी, पोस्ट पनवार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
3. तपेन्द्र अटल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अटल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03, रैगरों का मौहल्ला, निवाई, टोंक (राजस्थान)
4. श्रवण कुमार पुत्र श्री हुकमा राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी चक 6, जेडब्लूएम, ग्राम मोहरों वाला, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर (राजस्थान)
5. शेर सिंह मीना पुत्र श्री शिवचरण मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम किशोरपुर, पोस्ट पावटा गद्दी, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

6. तरूण शर्मा पुत्र श्री विद्याधर शर्मा, वृद्ध लगभग 26 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 13, आनंद नगर, मुंगास्का, दिल्ली रोड, अमरनाथ पेट्रोल पंप के पास, जिला अलवर (राजस्थान)
7. सोहन सिंह राव पुत्र श्री चतर सिंह राव, वृद्ध उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 9, राव का सायरा, पोस्ट सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राजस्थान)
8. रोहित कुमार मीना पुत्र श्री गुलाब चंद मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम झपायता, पोस्ट देहीखेड़ा, तहसील इंद्रगढ़, जिला बूंदी (राजस्थान)
9. शिवराज मीना पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम सिलोणी, पोस्ट नीधराड़ा, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
10. विकास कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 483, मोहल्ला कुंचियान, वार्ड संख्या 23, भादरा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)
11. सतवीर सिंह पुत्र श्री समुद्र सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम गोगटिया, बधावतान, पोस्ट आनंदसिंहपुरा, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राजस्थान)
12. श्री राम पुत्र श्री नाथू राम, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी धम्भुओं की ढाणी, नोखरा भाटिया, बाप, जोधपुर (राजस्थान)
13. इंद्रजीत पुत्र श्री तेजा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट भरत का गांव, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5469/2022

1. राहुल कुमार बैरवा पुत्र श्री राम लाल बैरवा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 344, तिरूपति बालाजी नगर, पनकी की टंकी के पास, हवाई अड्डा, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)
2. रोहित देवतवाल पुत्र श्री सीता राम देवतवाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 77, हनुमान नगर, सिरसी रोड, जयपुर (राजस्थान)
3. रामलखन गुर्जर पुत्र श्री बोदन लाल गुर्जर, वृद्ध लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम कूटूकी, पोस्ट श्यालौटा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राजस्थान)
4. राकेश धोबी पुत्र श्री मोती लाल धोबी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कोटा मामचारी, जिला करौली (राजस्थान)
5. सुरेश चौधरी पुत्र श्री प्रभु लाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कुंवालिया, सब डिविजन गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
6. राकेश कुमार जोशी पुत्र श्री सत्य नारायण जोशी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम बडवई, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
7. संजय कुदाल पुत्र श्री शंकर लाल कुदाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी प्रतिभा नगर, वार्ड संख्या 56, चूरू (राजस्थान)
8. रजनीश कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी रघुनाथपुरा बस स्टैंड, वार्ड संख्या 04, फ़तेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
9. राघवेंद्र सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी जी-34-35, प्रेम नगर-2एनडी, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर (राजस्थान)
10. राजेंद्र कुमार पुत्र श्री चिमनाराम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम रिबिया, पोस्ट खंडवा, चूरू (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय,

जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5801/2022

1. टिंकू वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी रैगर मोहल्ला, रामदेव मंदिर के पास, बोनली, जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

2. निशा शर्मा पुत्री कृष्ण कुमार शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 27-ए, हिल व्यू गार्डन, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान।

3. शुभम श्रृंगी पुत्र भगवती प्रसाद श्रृंगी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम रेपला, पोस्ट बकानी, तहसील बकानी, जिला झालावाड़, राजस्थान।

4. रवीन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र अजीत सिंह राठौड़, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 55-ए, मार्ग संख्या 17, कैलाश नगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5845/2022

1. तरुण जैन पुत्र श्री भागचंद जैन, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 40 श्री राम नगर बी खिरनी फाटक रोड झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2. रामदयाल पुत्र श्री जगदीश कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कुदसू, पोस्ट कुदसू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)
3. राकेश गुर्जर पुत्र श्री रोहिताश्व गुर्जर, वृद्ध लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम नांगल पंडित पुरा, पोस्ट नांगल पंडित पुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान)
4. सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, वृद्ध लगभग उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम ढाणा मथुरा वार्ड 12 पोस्ट रामपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)
5. 5.शिवराम मीना पुत्र श्री भगवान लाल मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम डोमाई, पोस्ट डोमाई, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर (राजस्थान)
6. तय्यब अली पुत्र श्री मोहम्मद रफीक, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी 44 शिव नगर मंडिया रोड पाली जिला पाली (राजस्थान)
7. सुमित बिश्नोई पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद बिश्नोई, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम घमंडिया, पोस्ट घमंडिया, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
8. विनोद कुमार पुत्र श्री गोपाल राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 07 बहलोल नगर 43 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
9. राजसिंह मीना पुत्र श्री लड्डू लाल मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी नई कोठी मोहल्ला कल्याणपुरा, बागड़ी, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
10. राजेश रुयाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम कुल्हारियो की ढाणी, पोस्ट कुल्हारियो की ढाणी, बिसाऊ जिला झुंझुनू (राजस्थान)
11. विकास दीप पुत्र श्री कमलेश कुमार, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम नई आबादी किशनपुरा, पोस्ट नई आबादी किशनपुरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

12. राकेश कुमार मीना पुत्र श्री बंशी धर मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम गनवारी, पोस्ट गनवारी, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)
13. श्री पाल गुर्जर पुत्र श्री शिव राज गुर्जर, वृद्ध लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम हरभावता, पोस्ट करेड़ा बुजुर्ग, तहसील निवाई, जिला टोंक (राजस्थान)
14. विकाश कुमार पुत्र श्री खमीचामल, उम्र लगभग 21 साल, निवासी नट कॉलोनी तहसील रोड रानीवाड़ा, कलां नट कॉलोनी रानीवाड़ा कलां जिला जालोर (राजस्थान)
15. रामराज गुर्जर पुत्र श्री मदन गुर्जर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम गुड़ला नाडी, पोस्ट राठौड़ नीमोद, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
16. विनोद गुर्जर पुत्र श्री रामभजन गुर्जर, वृद्ध लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बरुधन, पोस्ट कुण्डेर, तहसील उनियारा, जिला टोंक (राजस्थान)
17. रवि टेलर पुत्र श्री राजेश टेलर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 162, पत्रकार कॉलोनी, वाटर हेड टैंक के पास, झूंगरपुर, जिला झूंगरपुर (राजस्थान)
18. राजकुमार मेहता पुत्र श्री नाथू लाल मेहता, वृद्ध लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम तेलनी, पोस्ट बेहटा, तहसील शाहाबाद, जिला बारां (राजस्थान)
19. याद राम जाट पुत्र श्री गोपाल लाल जाट, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी जाजुन्दा की हवेली, केरिया, टोंक (राजस्थान)
20. राकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हरि प्रसाद गुर्जर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी थारी, टोंक (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट

कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6459/2022

1. रामेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामकिशोर गुर्जर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम तुलसीपुरा, तहसील व जिला करौली (राजस्थान)
2. सुनील कुमार पुत्र श्री दयाराम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम घणामगरा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राजस्थान)
3. सूरजमल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी पुलिस चैक पोस्ट के पास, ग्राम व पोस्ट दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
4. विमल मीना पुत्र श्री मोजी राम मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बगीना, पोस्ट बगीना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
5. राकेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 16, सिविल कोर्ट के पीछे सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
6. सीताराम शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम बीघरान, पोस्ट ढाणी कुम्हारान, तहसील तारा नगर, जिला चूरू (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6843/2022

1. सुरेश कुमार पुत्र ठकरा राम विश्नोई, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वीपीओ खारा, तहसील सांचौर, जिला जालोर, राजस्थान (रोल संख्या 4518870)
2. वेला राम पुत्र भावा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम पलारी सोलंकियान, पोस्ट धमाना, तहसील सांचौर, जिला जालोर, राजस्थान (रोल संख्या 4469947)
3. सुरेश बिश्नोई पुत्र हेमा राम बिश्नोई, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी शिव स्थान, ग्राम निम्बली पटेलन, तहसील रोहट, जिला पाली, राजस्थान (रोल संख्या 4472163)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6902/2022

1. रमेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम नेहरा वाली ढाणी, पोस्ट थालरका, तहसील रावतसर व जिला हनुमानगढ़
2. सुरेश लालरिया पुत्र श्री शंकर राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम सरगासनी, पोस्ट कलरू मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान)
3. राजेंद्र गरासिया पुत्र श्री लक्ष्मी चंद गरासिया, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी तेजाजी का चौक के पास, गांव व डाबी, जिला बूंदी (राजस्थान)

4. विक्रम फगेरिया पुत्र श्री राम निवास फगेरिया, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम चारणवासी, पोस्ट भादासर दिखनादा, तहसील सरदाशहर, जिला चूरू (राजस्थान)
5. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धनपत राम मीना, फगेरिया, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 6, वीपीओ खतेहपुरा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)
6. विक्रम राम पुत्र श्री गोवा राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम सुरावा, पोस्ट सुरावा, जिला जालोर (राजस्थान)
7. तपन दशोरा, पुत्र श्री अनिल कुमार दशोरा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गोस्वामी मठ के पास, जाट मोहल्ला, कुरज, जिला राजसमंद (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7030/2022

यशवन्त सिंह धीरावत पुत्र श्री जगजीत सिंह धीरावत, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी रेनदयाल तुर्क, रेनदयाल गुर्जर, तहसील वजीपुर, जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर,

दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7161/2022

सत्यभान सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम- ततवई, पोस्ट चैनपुर, तहसील- मासलपुर, जिला- करौली (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अध्यक्ष, राजस्व विभाग बोर्ड, सिविल लाइन्स, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।
2. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, श्रीजी नगर, पृथ्वीराज कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7247/2022

1. योगेश कुमार पुत्र श्री भोलू राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम हनीपुर, पोस्ट रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राजस्थान)
2. राजू सिंह पुत्र श्री पपू सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम बिघरान, पोस्ट ढाणी कुम्हारान, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राजस्थान)
3. ताऊ राम पुत्र श्री कबीरा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी सवाई सिंह की बस्ती बलाई, तहसील शिव, जिला बाडमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय,

जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलेक्टोरेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7775/2022

शक्ति सिंह पुत्र श्री कुशाल सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 7, मुख्य बाजार, वीपीओ मिर्जेवाला, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलेक्टोरेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8273/2022

1. विजय सिंह बैरवा पुत्र श्री हरि शंकर बैरवा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कटार, पोस्ट खंडवाला, तहसील खंडार, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

2. ईश्वर लाल मेघवाल पुत्र श्री हुकमी चंद मेघवाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम चन्द्र खैरी, पोस्ट संगरिया, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

3. संजय कुमार पुत्र श्री घासीराम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कोद, तहसील रियां बड़ी, जिला नागौर (राजस्थान)

4. सुभाष बाज्या पुत्र श्री सरदार मल बाज्या, वृद्ध लगभग उम्र 27 वर्ष, निवासी ढाणी पीलिया, गांव व पोस्ट खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)
5. रोहित सोलंकी पुत्र श्री गणेश लाल खटीक, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 83-84, रिद्धि सिद्धि नगर, म.प्र. सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
6. थाना राम परिहार पुत्र श्री नवाला राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8278/2022

1. राजेंद्र पटेल पुत्र श्री जगदीश पटेल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ चावंड, तशील सारदा, जिला उदयपुर (राजस्थान)
2. राज कुमार पुत्र श्री लाल चंद सहारण, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम कैलाश, पोस्ट नेथवा, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर,

दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8433/2022

1. सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम अलाफसर, पोस्ट हिरना, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
2. संदीप कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, वृद्ध लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम बढकी, पोस्ट लादरिया, तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
3. विक्रम कुमार चंदोलिया पुत्र श्री बसंत कुमार चंदोलिया, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ बरूओरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)
4. राहुल कुमार पुत्र श्री श्री राम चौधरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वीपीओ डूंगरी कलां, वाया

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8721/2022

राकेश कुमार पुत्र श्री पूरण मल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी भित्तियों का मौहल्ला, वार्ड संख्या 32, नया शहर किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9154/2022

1. विकास मीना पुत्र श्री बी.एल. मीना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बी-8, श्री राम कॉलोनी, कटी घाटी, राजगढ़ रोड, अलवर।
2. राहुल कुमार मीना पुत्र श्री बंशीधर मीना, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी अयोध्या नगर, वार्ड संख्या 40, दौसा, राजस्थान।
3. धर्म सिंह गुर्जर पुत्र श्री राम सिंह गुर्जर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ढाणी जटाला, गांव-कोटरी रामपुरा, पोस्ट-टहला, जिला अलवर, राजस्थान।
4. धर्मेन्द्र सिंह राघव पुत्र श्री सत्यवीर सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ खोहर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।
5. राहुल पुत्र श्री राजपाल सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 18, गणेश विहार 3, न्यू लोहा मंडी रोड, वकिया, जयपुर, राजस्थान।
6. राजेश पटेल, पुत्र श्री नाथू लाल पटेल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम बगथला, पोस्ट श्यामपुरा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर, राजस्थान।
7. रवि कुमार सोनी पुत्र श्री श्याम सुंदर सोनी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ दतवास, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।
8. रवि सांखला पुत्र श्री कैलाश सांखला, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ओल्ड यूको बैंक के

सामने, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर, राजस्थान।

9. रोशन त्रिवेदी, पुत्र श्री रामशंकर त्रिवेदी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी बी.एस.एन.एल. टावर पालोदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

10. सरजीत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम स्वाई छानी, पो छानी बारी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

11. सचिन कुमार जेफ, पुत्र श्री मनीराम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 15, गुर्जर कॉलोनी, नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान।

12. संजय लोहार, पुत्र श्री मांगी लाल लोहार, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बस स्टैंड के पास, झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान।

13. श्रवण कुमार कुरी पुत्र श्री दिनेश कुमार, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीपीओ ध्यावा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान।

14. शक्ति सिंह पुत्र श्री रूप सिंह राजपूत, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम मुंडोती, पोस्ट अकोदिया, अराई, जिला अजमेर।

15. शुभाष यादव पुत्र श्री मूलचंद यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम कैरोठ, पोस्ट पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

16. सुग्रीव कुमार पुत्र श्री ताराचंद, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम झारखंड, पोस्ट खरखड़ा, रामोलोथान, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान।

17. सुनील भारती पुत्र श्री राधे श्याम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 200 फुटा रोड, अम्बेडकर छात्रावास के सामने,

18. तुलसी राम मीना पुत्र शिव राम मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम-जयसिंहपुरा, पोस्ट-करणपुरा, तहसील रेनी, जिला अलवर, राजस्थान।

19. उमेश कुमार पुत्र श्री राधे श्याम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ नयाबास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान।

20. विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ जाटावली, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान।

21. योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री नवल सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वीपीओ तिलानेश, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान।
22. विश्वास दाधीच, पुत्र श्री वासुदेव शर्मा, वृद्ध लगभग 26 वर्ष, निवासी डी 709 ए जगदंबा नगर, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
23. सुनील कुमार पाटीदार, पुत्र श्री प्रकाश चंद्र, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम चुंडावाड़ा, पोस्ट- साकरसी, तहसील सिमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।
24. संदीप सिंह पुत्र श्री गिरवर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या- 174, ए वृंदावन कॉलोनी, खिरनी फाटक रोड, जिला जयपुर, राजस्थान।
25. घनश्याम पुत्र श्री कंवर सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ रायसराना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।
26. रतन लाल पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वीपीओ मेघाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9860/2022

1. रितेश कुमार पुत्र श्री जानकी लाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 70/104, सेक्टर-7, प्रताप नगर, श्योपुर, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)
2. दीपक कुमार पाटीदार पुत्र श्री श्याम लाल पाटीदार, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मायापुरी मोहल्ला, ग्राम व पोस्ट डोंडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10456/2022

सुनील कुमार बिश्नोई पुत्र श्री किशना राम बिश्नोई, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सुरंडा, जी.एस.एस. चन्द्र नगर, श्री जम्मेश्वर नगर, लोहावट, जिला जोधपुर (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11271/2022

1. रविशंकर पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ ददरेवा, तहसील राजागढ़, जिला चुरू, राजस्थान।
2. रूधा राम पुत्र श्री पुंजा राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी दिधू, तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11278/2022

1. संजय कुमार पुत्र श्री मारू राम भूरिया, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम खिदरसर (पुरा की ढाणी), पोस्ट डेरवाला, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. राहुल पुत्र मनीराम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या-7, पो दुर्जाना, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. सौरभ सुमन पुत्र श्री प्यारे लाल सुमन, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 2-ए-1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
4. राहुल कुमार वर्मा पुत्र श्री बापू लाल वर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम आंवली खुर्द, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11286/2022

सुमेर सिंह मीना पुत्र श्री अमर सिंह मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट लोटवाड़ा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके सचिव, विभाग के माध्यम से राजस्व, सरकार. सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11296/2022

सोहन लाल तेली पुत्र श्री राधेश्याम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम सिमरदा, पोस्ट कारुंडा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11501/2022

शिव कुमार पोततर पुत्र श्री बाबूलाल पोततर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वीपीओ अनंता, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11936/2022

1. रवीन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी राजपूत विश्राम गृह के पीछे, भवानीपुरा, पोकरण, जिला जैसलमेर, राजस्थान।
2. श्रवण कुमार पुत्र श्री मोहन दास, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ ऊंटवालिया, तहसील नागौर, जिला नागौर, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12563/2022

1. दीपक कुमार पुत्र श्री राजपाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी डूमरोली, नीनाराना, जिला अलवर (राजस्थान)
2. विशना राम पुत्र श्री भाईपा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी 42, बासनी निकुबा, जिला जोधपुर (राजस्थान)

3. सुरेश कुमार मीना पुत्र श्री मांगी लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ डाकम कोटड़ा, जिला उदयपुर (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2022

1. विष्णु पुत्र सुरजा राम बिश्नोई, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गुड़ा विश्नोइयां, तहसील लूनी, जिला जोधपुर, राजस्थान।
2. रामलाल पुत्र हनुमान राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी सियाको की ढाणी, ग्राम कानावास, कपाना, जिला जोधपुर, राजस्थान।
3. राकेश पुत्र बाबूलाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी नदी वाली धनिया, फिटकासनी, जिला जोधपुर, राजस्थान

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13447/2022

1. तेजपाल बांगड़ पुत्र श्री रणधीर सिंह बांगड़, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ढाणी बांगड़ों की, ग्राम त्रिलोकपुरा, नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

2. सियाराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर, वृद्ध लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम मालेड़ा, पोस्ट रेन्थोडा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14109/2022

1. योगेन्द्र सिंह झाला पुत्र श्री दयाल सिंह झाला, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी मकान नं. 25, झालो का गुड़ा, जिला उदयपुर

2. सुरेंद्र सिंह झाला पुत्र श्री भान सिंह झाला, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी झालो का गुड़ा, कैलाशपुरी, जिला उदयपुर, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14620/2022

1. विकास शर्मा पुत्र कैलाश चंद शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम दयारामपुरा, पोस्ट जीतावाला, तहसील बस्ती, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. राजेश शर्मा पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम जगमालपुरा, पोस्ट चावंडिया, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 16329/2022

1. विनोद कुमार कुमावत पुत्र श्री भागीरथ मल कुमावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम ठेहट, पोस्ट रूपगढ़, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर (राजस्थान)
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री हजारी राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट सालरिया, तहसील रानी, जिला पाली (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 16382/2022

1. उल्लास शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 13, थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
2. विकल्प श्रीमाली पुत्र श्री हेमेन्द्र कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी जय हिन्द नगर, गली नं. 6, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट

कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17647/2022

1. विष्णु प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राजस्थान)
2. राजू नायक पुत्र श्री रूपा नायक, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम मानपुरा, पोस्ट भूलोन, तहसील छबारा, जिला बारां (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 18592/2022

1. घनश्याम यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ बामनवास, तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
2. उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरिराज सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम बलवण्डका, पोस्ट सहडोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय,

जयपुर (राजस्थान)

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 18801/2022

1. समर्थ राम पुत्र श्री सांवल राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वीपीओ बिठूजातेहसील, तहसील पचपदरा, जिला बाइमेर (राजस्थान)
2. उदय राम पुत्र श्री कृष्ण लाल, उम्र लगभग 23 वर्ष। निवासी वार्ड संख्या 5, मालेर सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
3. दीपक कुमार पुत्र श्री रामजी लाल ज्योतिषी, वृद्ध लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 4, गुढ़ा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान)
4. विक्रम सिंह भाटी पुत्र श्री डूंगर सिंह भाटी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी गोगडियावाला, जिला बीकानेर (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 19369/2022

रोहित खत्री पुत्र श्री बंशीधर खत्री, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी गोपाल कॉलोनी, वार्ड संख्या 17, हिंडौन, जिला करौली (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. राजस्व मंडल, अजमेर, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 19477/2022

1. श्योदान प्रजापत पुत्र श्री राम निवास प्रजापत, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम द्रगपालपुरा, पोस्ट करेड़ा खुर्द, तहसील चाकलसू, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. रितेश कुमार सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी सामोद रोड, निमाड़ी, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

3. राजस्व मंडल अजमेर, अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलक्ट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12943/2022

रमेश दान पुत्र श्री नीम्ब दान, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 4 बीएम सरदारपुरा पूगल, जिला-बीकानेर।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 19763/2022

1. यादव महेशकुमार सीताराम पुत्र श्री सीताराम यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी केशवा पेवर ब्लॉक फर्म, तहसील किशनगढ़ रिन्यूअल, जिला जयपुर राजस्थान।
2. वीरेंद्र पुत्र श्री रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 04, वीपीओ कुचोर, आथुनी, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान।
3. रामस्वरूप यादव पुत्र श्री रघुनाथ यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी केरली कोठी, रानोली, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान।

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 909/2023

संदीप कुमार पुत्र रोहतास, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम बनिहारी, पोस्ट थनवास, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1181/2023

1. राहुल चौधरी पुत्र सरजीत सिंह चौधरी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम शेखपुर, पोस्ट सांगटेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. राजेश कुमार पुत्र सुगना राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी इंद्रा कॉलोनी, गुसाइयों की समाधि के पास, वार्ड संख्या 29, नया वार्ड संख्या 38, राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान
3. सचिन धाभाई पुत्र नरपत सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी विधायक नगर, चिड़ावा, जिला झुंझुनू राजस्थान।
4. संजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम मोहलरिया, पोस्ट कोलीला, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, कृषि प्रबंधन संस्थान भवन, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

---- प्रत्यर्थागण

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1344/2023

रमेश मीना पुत्र श्री रामलाल मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम बालागढ़, पोस्ट ग्वारी, तहसील दूनी जिला टोंक (राजस्थान)

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

71

[CW-2679/2022]

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, राजस्व विभाग, सरकार के माध्यम से। सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. राजस्व मंडल अजमेर अपने सचिव के माध्यम से, गोखले लेन, विपक्ष। कलकट्रेट कार्यालय, बसंत विहार, टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन, अजमेर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से :

श्री विज्ञान शाह जी के साथ
 श्री अक्षित गुप्ता
 श्री दीपक चौहान के लिए
 श्री शुभान खूटेटा
 श्री शिम्भू दयाल पोसवाल
 श्री हर्ष दाधीच के साथ
 श्री सुनील कुमार सिंगोदिया
 श्री गोविंद गुप्ता
 श्री आमिर खान के साथ
 श्री राम प्रताप सैनी
 सुश्री कोमल कुमारी गिरि
 श्री बजरंग सेपत
 श्री तखत सिंह
 श्री अरविन्द कुमार अरोड़ा
 श्री अभिनव श्रीवास्तव के साथ
 श्री रघु नंदन शर्मा
 श्री तनवीर अहमद
 श्री मनीष परिहार के साथ
 श्री जे.आर. चौधरी
 श्री वाई.एस. जादौन
 श्री अशोक बंसल
 श्री चंडी चरण रत्नू

प्रत्यर्था (गण) की ओर से :

श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता
 द्वारा सहायता प्रदान की गई
 श्री शोवित झाझरिया
 श्री नलिन जी. नारायण, एजीसी श्री
 हिमांशु जैन
 श्री अजय चौधरी

श्री भरत सैनी
श्री अर्पित जैन
श्री अश्विनी कुमार जैमन
श्री संदीप तनेजा
श्री कार्तिकेय शर्मा

न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि : 10 जनवरी, 2023
निर्णय उच्चारित करने की तिथि : 25 जनवरी, 2023

रिपोर्टबल

1. रिट याचिकाओं के इस समूह में, विभिन्न प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समान करने के लिए राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (बाद में "बोर्ड" के रूप में संदर्भित) द्वारा अपनाई गई राजस्थान राजस्व (भूमि अभिलेख, बंदोबस्त एवं उपनिवेशन) के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 3/2019 दिनांक 17.1.2020 के तहत शुरू की गई पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2021 के क्रम में पटवारी पद पर चयन के लिए आयोजित बहु-सत्रीय परीक्षा में पेपर अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 (इसके बाद इसे "2019 के नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत अपनाई गई सामान्यीकरण की पद्धति को चुनौती दी गई है।

2. मामले का तथ्यात्मक पहलू यह है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि पटवारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी संख्या होने के कारण इसे चार पालियों अर्थात् 23.10.2021 (प्रातः-संध्या) और 24.10.2021 (प्रातः-संध्या) में आयोजित किया गया था। चारों पालियों में पाठ्यक्रम और विषय समान थे लेकिन प्रत्येक पाली का प्रश्न-पत्र अलग था। प्रारंभ में, दिनांक 17.01.2020 की अधिसूचना के माध्यम से 4421 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था और उसके बाद कुछ और जोड़े गए और राजस्व, उपनिवेश और निपटान विभागों में भर्ती के लिए पटवारी के लिए कुल 5610 रिक्तियां विज्ञापित की गईं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस सीधी भर्ती परीक्षा में कुल 15,62,995 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 5,02,307 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया। चूंकि 24.10.2021 को 'करवा चौथ' का धार्मिक त्योहार था, इसलिए अधिकतम संख्या में महिला उम्मीदवारों ने

23.10.2021 को दो पालियों में परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुना। चूंकि, परीक्षा चार पालियों में कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलग-अलग प्रश्न पत्रों के साथ आयोजित की गई थी, इसलिए बोर्ड ने परिणाम तैयार करने के लिए सामान्यीकरण की विधि लागू करने का निर्णय लिया और इस आशय का आदेश दिनांक 13.12.2021 को प्रकाशित किया गया। विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया और विशेषज्ञ समिति की राय के अनुसार, वी. नटराजन और के. गुणसेकरन का एक प्रसिद्ध और ज्यादातर पहले इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला अंकों को सामान्य करने के लिए लागू किया गया और अंकों को सूत्र के अनुसार स्केल करने के बाद लागू किया गया। विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुसार, अंतिम परिणाम तैयार किया गया है और 25.01.2022 को प्रकाशित किया गया।

3. 25.01.2022 को परिणाम घोषित होने के बाद, 24.10.2021 की संध्या को आयोजित चौथी पाली में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने दिनांक 25.01.2022 के परिणाम के साथ-साथ पूर्वव्यापी परिणाम तैयार करने के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह में सभी रिट याचिकाकर्तागण केवल उन उम्मीदवारों में से हैं जो 24.10.2021 को संध्या की अंतिम और चौथी पाली में पटवारी परीक्षा-2021 की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित हुए थे।

4. याचिकाकर्तागण की ओर से मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु पर चुनौती दी गई है:-

I) सामान्यीकरण की प्रक्रिया लागू करने के बाद घोषित दिनांक 25.01.2022 के परिणाम में, चयनित उम्मीदवारों के अनुपात के बीच लगभग 21% का अंतर आया है, 23.10.2021 को प्रातः की पाली में पहले बैच में उपस्थित हुए उम्मीदवार चौथे बैच में उपस्थित हुए। 24.10.2021 को संध्या की पाली, इसलिए, सामान्यीकरण के कारण बैच संख्या 4 में उपस्थित उम्मीदवारों के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव हुआ है;

II) 2019 के नियमों में सामान्यीकरण प्रदान नहीं किया गया है और बोर्ड द्वारा 17.01.2020 के प्रारंभिक विज्ञापन में इसे अधिसूचित नहीं किया गया था, इसलिए परीक्षा आयोजित करने के बाद सामान्यीकरण की पद्धति को लागू करना मनमाना, अवैध और अनुचित है;

III) अंतिम परिणाम, अंकों को स्केल किए बिना, नियम 2019 के नियम 28 के अनुसार, लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वास्तविक और कच्चे अंकों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था; या

IV) वर्तमान परीक्षा में, निर्विवाद रूप से सभी अभ्यर्थियों के लिए विषय और पाठ्यक्रम समान है और किसी भी विषय परिवर्तनशीलता उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए सामान्यीकरण के लिए स्केलिंग के सूत्र का उपयोग अवैध है और अधिक से अधिक, मॉडरेशन के सूत्र को हटाने के लिए हॉक डव प्रभाव या परीक्षक परिवर्तनशीलता लागू की जा सकती थी, वह भी विशेषज्ञ समिति की राय/रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद;

V) सामान्यीकरण का गलत तरीका अपनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य अंक प्राप्त हुए हैं और इसलिए अंतिम परिणाम रद्द कर दिया जाना चाहिए।

5. उपरोक्त तर्कों का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

(1) उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी एवं अन्य [एआईआर 2022 एससी 973] (2) जयरुद्दीन शेख बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य [2021 (3) एएलडी 129], (3) संजय सिंह और अन्य बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं अन्य [(2007)3 एससीसी 720]।

6. उपरोक्त बिंदुओं पर परिणाम की चुनौती का मुकाबला करने के लिए, प्रत्यर्थी-बोर्ड और अंतिम चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में जगह पाने वाले उम्मीदवारों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं: -

“1) सांख्यिकी के बाद विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के साथ चौथी पाली में आयोजित परीक्षा के कठिनाई स्तर को बराबर करने और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर लाने के लिए, सभी प्रामाणिकता के साथ विश्लेषण करने के लिए

सामान्यीकरण की विधि लागू की गई थी।

II) अभ्यर्थियों की भारी संख्या के कारण चार पालियों में अभ्यर्थियों का विभाजन आवश्यक था और विभाजन अभ्यर्थियों के नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में किया गया था, लेकिन संयोग से 24.10.2021 को करवा चौथ के त्योहार के कारण, अधिकतम संख्या में महिला अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी। दिनांक 23.10.2021 को दो पालियों में समायोजित किया गया तथा अभ्यर्थियों के ऐसे व्यवस्थित विभाजन में कोई अनियमितता/अवैधता नहीं हुई।

III) परिणाम की घोषणा के बाद सामान्यीकरण की विधि के आवेदन को चुनौती, केवल पहली पाली (23.10.2021 को प्रातः) में उपस्थित उम्मीदवारों और चौथी पाली में उपस्थित उम्मीदवारों के बीच सफल उम्मीदवारों के अनुपात में भिन्नता के कारण 24.10.2021 को संध्या), कानून के विपरीत है और इसके अलावा 23.10.2021 को प्रातः और संध्या की दोनों पालियों में, अधिकतम संख्या में महिला उम्मीदवार उपस्थित हुई और महिला वर्ग के लिए 30% आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि फाइनल में मामूली अंतर है। परिणाम स्पष्ट है और वह भी ऐसे कारणों से सामान्यीकरण की पद्धति को चुनौती नहीं दी जा सकती।

IV) सामान्यीकरण के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मूला बिना किसी गुप्त उद्देश्य के सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया था।

V) नियम 2019 के नियम 22, अनुसूची II टिप्पणी 3 के अनुसार, यह प्रावधान है कि पेपर की योजना और पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बोर्ड के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, भले ही यह हो विज्ञापन में विशेष रूप से अधिसूचित नहीं किया गया।

VI) बोर्ड की ओर से कोई दुर्भावना या सद्भावना की कमी नहीं है और न ही सामान्यीकरण की पद्धति को लागू करने के लिए बोर्ड के खिलाफ

दुर्भावना के ऐसे किसी आरोप को जिम्मेदार ठहराया गया है।

VII) भर्ती की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है और मुख्य सूची से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई है और केवल कुछ बची हुई रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से भरने की आवश्यकता है, इसलिए इस स्तर पर, अंतिम परिणाम में हस्तक्षेप होगा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।"

प्रत्यर्थागण ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

(1) सुनील कुमार एवं अन्य बनाम बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य [2016 (2) एससीसी 495], (2) उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी एवं अन्य[एआईआर 2022 एससी 973],(3) जय सिंह बनाम राजस्थान राज्य [(2011)2 डब्ल्यूएलसी 46], (4) गौरव शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 4088/2022 (5) अनिल कुमावत और अन्य बनाम नवीन अग्रवाल एवं अन्य [2012 (3) आईएलआर (राजस्थान)164]।

7. यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी, जिनका चयन हो चुका है और वे प्रतीक्षा सूची में हैं, लेकिन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण उनकी नियुक्ति रोक दी गई है, उन्होंने स्वयं को पक्षकार बनाने की मांग करते हुए इस न्यायालय में आम सहमति से आवेदन दायर किए हैं। सीडब्ल्यूपी संख्या 2679/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में ऐसे चयनित उम्मीदवारों को पार्टी प्रत्यर्थागण के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गई है, इसलिए यदि चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार बनाने की मांग करने वाला ऐसा कोई आवेदन लंबित है, तो उसे निपटाया हुआ माना जाएगा। सामान्य आदेश दिनांक 13.12.2022 के संदर्भ में और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है, हालांकि उनके द्वारा रिट याचिकाओं का कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दलीलों के अलावा, अन्य अतिरिक्त शपथ-पत्र, दस्तावेज, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें संबंधित पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई हैं, उन पर विचार किया गया है।

8. सभी संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और उनके संबंधित तर्कों के साथ-साथ दलीलों, अतिरिक्त हलफनामों और आवेदनों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य

सामग्री के आधार पर, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया:-

- I) क्या परीक्षा आयोजित करने के बाद प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा सामान्यीकरण प्रक्रिया को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना मनमाना है और 2019 के नियमों के विपरीत है और कानून में अस्वीकार्य है?
- II) क्या सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू करने के बाद तैयार किया गया पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2021 का अंतिम परिणाम न्यायिक समीक्षा के दायरे में रिट कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है?

बिंदु संख्या I:-

सबसे पहले, यह विवाद नहीं है कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2021 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय उत्तर पैटर्न के विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ चार पालियों में आयोजित की गई है। जाहिर है जब परीक्षा बहु-सत्रीय होती है और परीक्षा के प्रत्येक सत्र में प्रश्न-पत्र अलग-अलग होते हैं, तो सामान्यीकरण, स्केलिंग या मॉडरेशन के सिद्धांत का अनुप्रयोग सामान्य अभ्यास होता है, जिसका अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है क्योंकि मानक या कठिन स्तर में भिन्नता की पूरी संभावना होती है। विभिन्न सत्रों के लिए विभिन्न परीक्षाओं द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रश्न-पत्र। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भी कानून के ऐसे प्रस्ताव पर विवाद नहीं करते हैं और स्वीकार करते हैं कि जब भी, ऐसी बहु-सत्रीय परीक्षा आयोजित की जाती है, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राजस्थान जैसी विभिन्न एजेंसियां लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) आदि सामान्यीकरण प्रक्रिया/तकनीक का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार, यह कानून का निर्विवाद और स्थापित प्रस्ताव है कि जब भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भाग लेते हैं और लिखित परीक्षा अलग-अलग बैठकों या बैचों में अलग-अलग प्रश्न पत्रों के साथ आयोजित की जाती है, तो भर्ती एजेंसी परीक्षण के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया लागू कर सकती है। सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एक ही आधार पर होगी, जब तक कि चयन की किसी अन्य प्रक्रिया का विज्ञापन नहीं किया जाता है या नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है या सामान्यीकरण की प्रक्रिया के आवेदन को

प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। यह सत्य है कि वर्तमान पटवारी परीक्षा में विज्ञापन में यह सूचित नहीं किया गया था कि अंतिम परिणाम तैयार करने के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और 13.12.2021 को चार पालियों में परीक्षा आयोजित करने का विज्ञापन दिया गया था, 23.10.2021 और 24.10.2021 (प्रातः और संध्या); क्या सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अवैध है या क्या 2019 का नियम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए बोर्ड पर कोई प्रतिबंध लगाता है और क्या सामान्यीकरण को अपनाने से याचिकाकर्तागण को इसे चुनौती देने का कोई अधिकार मिलता है और इसके कारण सामान्यीकरण, चौथी पाली में उपस्थित अभ्यर्थियों को शत्रुतापूर्ण भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऐसे सभी मुद्दों का विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए, 2019 के नियमों में निर्धारित परीक्षा की योजना और चयन की प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में तय की गई न्यायिक मिसाल पर भी विचार किया जाना चाहिए।

9. पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2021 दिनांक 21.11.2019 की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित राजस्थान राजस्व (भूमि अभिलेख, बंदोबस्त और उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 के तहत आयोजित की गई है। रिक्तियों का विज्ञापन 17.01.2020 को जारी किया गया था। ऐसे नियमों का भाग IV सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया से संबंधित है और नियम 22 में परिकल्पना की गई है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले अनुसूची- I में निर्दिष्ट पद योजना और पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है - द्वितीय चयन बोर्ड के माध्यम से **अनुसूची-I** में, पटवारी का पद दर्शाया गया है और भर्ती की विधि 100% सीधी भर्ती के माध्यम से है।

अनुसूची- II इस प्रकार है:-

“1. परीक्षा की अनुसूची: परीक्षा में निम्नलिखित विषयों को कवर करने के दौरान 3 घंटे का एक पेपर शामिल होगा: -

विषय	औसत भारिता
भारत का सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति और भूगोल; सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स	25
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजव्यवस्था	20
सामान्य अंग्रेजी एवं हिन्दी	15
मानसिक क्षमता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता	30

टिप्पणी:

1. परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को उनकी योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा।
2. परीक्षा में बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। नकारात्मक अंकन होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा।
3. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों की योजना और पाठ्यक्रम समय-समय पर चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

नियम-28 इस प्रकार है:-

नियम 28. चयन बोर्ड की सिफारिशें.

“चयन बोर्ड उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें वे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानते हैं और *लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर* योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करेंगे और उसे राजस्व बोर्ड को भेजेंगे:

बशर्ते कि चयन बोर्ड विज्ञापित रिक्तियों में से 50% की सीमा तक उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्षित सूची में भी रख सकता है। चयन बोर्ड, मांग पर, चयन बोर्ड द्वारा मूल सूची अग्रेषित करने की तारीख से छह महीने के भीतर, राजस्व बोर्ड को योग्यता के क्रम में ऐसे उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर सकता है।

(बल दिया गया)

10. सबसे पहले 2019 के नियमों में, नियम 28 को छोड़कर अंतिम चयन सूची तैयार करने के लिए कोई अन्य विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि चयन बोर्ड प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा और दूसरी ओर, 2019 के नियमों के नियम 22, अनुसूची II, टिप्पणी 3 का एक संयुक्त वाचन, जैसा कि यहां ऊपर दिया गया है,

ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा के पेपर की योजना और पाठ्यक्रम समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। टिप्पणी-3 विशेष रूप से निर्धारित करता है कि पटवारी की परीक्षा की योजना बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से परिणाम तैयार करने की योजना शामिल है और सामान्यीकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदन वर्तमान परीक्षा में सामान्यीकरण की प्रक्रिया, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण निर्विवाद रूप से अलग-अलग वस्तु प्रकार के प्रश्न-पत्र के साथ चार पालियों में परीक्षा आयोजित की जानी है, नियमों के विपरीत है या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित है।

11. उदाहरण के लिए, **महिंदर कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य [(2013) 11 एससीसी 87]**, के मामले में, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीशों के चयन में, सामान्यीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया था, हालांकि अधिसूचना में, सामान्यीकरण के आवेदन के बारे में कोई संदर्भ नहीं है योग्यता सूची तैयार करने के लिए सिद्धांत दिया गया था, हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियमों के नियम 7 पर भरोसा करते हुए सामान्यीकरण प्रक्रिया/तकनीकी को अपनाने को मंजूरी दे दी, जो उच्च न्यायालय उम्मीदवार को चयन के लिए किसी भी प्रक्रिया को अपनाने की अनुमति देता है।

12. **महिंदर कुमार एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य [(2013) 11 एससीसी 87]**, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

“ऐसी स्थिति में, जहां लगभग 3000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कई जिला न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्तरों के मूल्यांकन और मूल्यवान अंकों के पुरस्कार में भिन्नता की पूरी गुंजाइश थी। विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा. उच्च न्यायालय ने पैरा 9(iv) के साथ पढ़े गए नियम 7 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उम्मीदवारों की संबंधित योग्यताओं का आकलन करने के लिए उनके अंकों को सामान्य करने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई। इसलिए, पैरा 9(iv) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" को उच्च

न्यायालय को इस तरह के मामले में इस तरह के कदम का सहारा लेने के लिए पूरी तरह से सशक्त बनाने के लिए माना जाना चाहिए, जहां अधिक संख्या में जिला न्यायाधीशों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया और इस प्रकार, इसके लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, ताकि एक उचित तरीका खोजा जा सके जिसके द्वारा अंकों के सामान्यीकरण पर काम किया जा सके।

13. जिस आधार पर महिंदर कुमार (सुप्रा.) के निर्णय में स्केलिंग प्रणाली की प्रयोज्यता को मंजूरी दी गई थी, हाल ही में **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी एवं अन्य। [एआईआर 2022 एससी 973]**, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जिसमें प्रासंगिक पैरा 36 यहां दिया गया है:-

“यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि **सुभाष चंद्र दीक्षित [2003 (12) एससीसी 701]** का निर्णय इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, जबकि **संजय सिंह (सुप्रा.) और महिंदर कुमार (सुप्रा.)** का निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था। इसके अलावा, **संजय सिंह (सुप्रा.)** के निर्णय को **महिंदर कुमार (सुप्रा.)** के निर्णय के पैराग्राफ 7 में देखा गया था, लेकिन विज्ञापन के नियम 7 और पैरा 9 (iv) को एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक पाया गया जिसके द्वारा सामान्यीकरण किया जा सके। अंकों पर काम किया जा सकता है।”

इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि नियम 22 को 2019 के नियमों की अनुसूची-2, टिप्पणी-3 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, जैसा कि यहां ऊपर दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि वर्तमान बहु-पालियों की परीक्षा में सामान्यीकरण की विधि लागू की गई है, जो कि नियमों से अलग है या किसी भी तरह से कानून के विपरीत है। यह न्यायालय अपने निष्कर्ष को समर्थन देता है क्योंकि अनुरूप और समान प्रकार के नियम के आधार पर, महिंदर कुमार (सुप्रा.) के मामले में स्केलिंग प्रणाली के आवेदन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और अतुल कुमार द्विवेदी (सुप्रा.)

के मामले में भी इसकी पुष्टि की गई है।

14. यहां याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने नियम 2019 के नियम 28 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि अंतिम परिणाम प्रक्रिया को लागू करने के बजाय लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वास्तविक और कच्चे अंकों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था। सामान्यीकरण का नियम 28 में दिए गए अनुसार चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया के आधार पर, उनका तर्क है कि वर्तमान परीक्षा में सामान्यीकरण प्रक्रिया की प्रयोज्यता की अनुमति नहीं है। इस न्यायालय को इस तरह के विवाद में कोई बल नहीं दिखता। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामान्यीकरण के बाद प्राप्त अंक का गलत मतलब नहीं निकाला जा सकता है। यहां तक कि याचिकाकर्तागण द्वारा उठाया गया यह मुद्दा भी **संजय सिंह और अन्य बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं अन्य [(2007)3 एससीसी 720]**, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से हल हो गया है, जिस पर याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने स्वयं भरोसा जताया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

“20. हम याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि शब्द "प्रदत्त अंक" या "लिखित प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंक" केवल परीक्षक द्वारा दिए गए वास्तविक अंकों को संदर्भित करते हैं। 'मूल्यांकन' एक ऐसी प्रक्रिया है जो परीक्षक द्वारा अंक दिए जाने पर समाप्त नहीं होती है। परीक्षक द्वारा अंक प्रदान करना मूल्यांकन की प्रक्रिया का केवल एक चरण है। जब परीक्षा प्राधिकारी द्वारा मॉडरेशन को नियोजित किया जाता है, तो यह मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है और मॉडरेशन पर दिए गए अंक उम्मीदवार के अंतिम अंक बन जाते हैं। वास्तव में नियम 20(3) विशेष रूप से 'लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों' को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों को मॉडरेशन द्वारा बदला जा सकता है।”

15. **अतुल कुमार द्विवेदी (सुप्रा.)** के मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय में, जिस पर याचिकाकर्तागण ने भी भरोसा जताया है, यह देखा गया है कि अभिव्यक्ति "लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक, को समझा जाना

चाहिए। सामान्यीकरण तकनीक के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, इस प्रकार जब सामान्यीकरण की प्रक्रिया लागू की गई है, तो उस स्थिति में, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक सामान्यीकरण की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक होंगे।

16. उपरोक्त तर्क के विपरीत, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का वैकल्पिक तर्क यह है कि प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा सामान्यीकरण के लिए अपनाया गया फॉर्मूला, कानून में खराब है क्योंकि अंकों को स्केल करने की प्रक्रिया को लागू करने के बजाय, अंकों के मॉडरेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। हॉक डव प्रभाव या परीक्षक परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए लागू किया गया है। इस प्रकार, ऐसे वैकल्पिक तर्क से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण ने पटवारी परीक्षा में सामान्यीकरण की प्रक्रिया की प्रयोज्यता की आवश्यकता पर विवाद नहीं किया है, बल्कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली तकनीक और पद्धति पर विवाद करने का प्रयास किया है। इस संबंध में प्रत्यर्थी-बोर्ड ने तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की है कि चूंकि परीक्षा चार पालियों में अलग-अलग प्रश्न पत्रों के साथ आयोजित की गई थी, इसलिए हॉक डव प्रभाव या परीक्षक परिवर्तनशीलता को खत्म करने के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता असंगत हो गई थी और इस मामले को देखने के लिए 13.12.2021 को उच्च विशेषज्ञों वाली एक समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ की समिति ने परीक्षा की योजना के साथ-साथ सांख्यिकीय विश्लेषण की गहन जांच की, सामान्यीकरण की प्रक्रिया का पालन करने के लिए वी. नटराजन और के. गुणसेकरन के सूत्र का सुझाव दिया। बताया गया है कि विशेषज्ञ समिति के सुझाव के बाद ही सामान्यीकरण की तकनीक को अपनाया गया है और विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुरूप सामान्यीकरण की तकनीक को लागू कर दिनांक 25.01.2022 की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गयी है। यह भी कहा गया है कि उसके बाद भी, विशेषज्ञों की समिति ने 07.02.2022 को अपनी पिछली रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 को फिर से देखा और पाया कि वर्तमान भर्ती परीक्षा में सामान्यीकरण के लिए लागू फॉर्मूले हॉक डव प्रभाव या परीक्षक परिवर्तनशीलता को हटाने के लिए सही ढंग से उपयोग किया गया था।

17. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अतिरिक्त शपथ-पत्र दिनांक 28.03.2022 के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिसे उद्घृत किया जा रहा है:-

नॉर्मलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021:-

“समिति के सदस्यों ने पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के विस्तृत विज्ञापन संख्या 03/2019 और परीक्षा के पैटर्न का अध्ययन किया है।

चूंकि उम्मीदवारों की संख्या बड़ी थी, इसलिए परीक्षा 23 अक्टूबर, 2021 और 24 अक्टूबर, 2021 को चार अलग-अलग पालियों में आयोजित की गई थी। विभिन्न पालियों में उम्मीदवारों के आवंटन का विभाजन नीचे दी गई तालिका के अनुसार लगभग समान था।

क्र.सं.	राउंड अनुसार तारीख	पंजीकृत उम्मीदवार	परीक्षा देने वालों की संख्या
1	2	3	4
1	23-10-2021 (I) प्रातः पाली	386514	252023
2	23-10-2021 (II) संध्या पाली	391214	257711
3	24-10-2021 (III) प्रातः पाली	394714	266822
4	24-10-2021 (IV) संध्या पाली	390553	265479

परीक्षा चार पालियों में आयोजित की गई और प्रत्येक पाली में एक अनिवार्य पेपर था। प्रत्येक पाली के लिए अलग-अलग पेपर का उपयोग किया गया। प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया था, जिसमें से एक विकल्प सही उत्तर था। प्रत्येक पेपर में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नियमानुसार नकारात्मक अंक दिये गये।

चूंकि परीक्षा चार अलग-अलग पालियों में आयोजित की गई थी, इसलिए समिति ने अंकों को सामान्य करने या अन्यथा करने के मामले पर विचार किया. इसके लिए विभिन्न सांख्यिकीय उपायों की गणना की गई:-

1. ज्ञात हुआ कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पाली के प्रश्नपत्र में गैर विवादित प्रश्नों की संख्या क्रमशः 147, 147, 150 एवं 147 थी। आगे के विश्लेषण के लिए केवल इन प्रश्नों के अंकों पर विचार किया गया।

2. चारों प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक का औसत कठिनाई स्तर। इसके अलावा, चार पेपरों के मानक विचलन और कठिनाई स्तरों की विविधताओं के गुणांक की भी गणना की गई। समिति ने पाया कि सभी चार पेपरों का कठिनाई स्तर अलग-अलग है और

मानक विचलन और भिन्नता का गुणांक भी अलग-अलग है।

3. उपरोक्त के अलावा, अंकों के वर्णनात्मक माप की भी गणना की गई और चार पेपरों में प्राप्त अंकों की आवृत्ति वक्र तैयार की गई। (अनुलग्नक-2 देखें)

निष्कर्ष:-

उपरोक्त सांख्यिकीय विश्लेषण के मद्देनजर, समिति अनुशंसा करती है कि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अनुलग्नक-1 में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार स्केलिंग/सामान्यीकरण की आवश्यकता है।

टिप्पणी:-

1. विभिन्न सांख्यिकी मापों की गणना करते समय प्रश्नपत्रों में शून्य/नकारात्मक अंक हटा दिए गए थे।
2. यह अनुशंसा की जाती है कि प्राप्त शून्य/नकारात्मक अंकों की कोई स्केलिंग न की जाए। वहीं स्केलिंग के बाद अधिकतम अंकों पर कैपिंग होगी।

स्केलिंग के लिए सूत्र

$$(Annx.1) S = M_t + \{(X_i - M_i) / \sigma_i\} * \sigma_t$$

यहाँ

S= Scaled Scores of a candidate M_t = Mean of combined scores

σ_t - Standard Deviation of combined scores X_i = Raw scores of student in i th shift

m_i = Mean of Raw score of i th Shift

σ_i = Standard Deviation of Raw Score of i th Shift

18. प्रत्यर्थी बोर्ड की ओर से दायर अतिरिक्त शपथ-पत्र दिनांक 28.03.2022 में यह भी कहा गया है कि 7.2.2022 को गठित समिति ने पटवारी निदेशक भर्ती परीक्षा -2021 की प्रतियोगिता में उत्तर देने वाले प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट पर फिर से विचार किया और समिति ने पाया कि सूत्र सही ढंग से लागू किया गया था।

विशेषज्ञ समिति की दिनांक 07.02.2022 की रिपोर्ट यहां दी गई है:-

“समिति ने पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में बोर्ड कार्यालय में 31.12.2021 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सौंपी गई रिपोर्ट पर दोबारा विचार किया।

समिति ने अपनी उक्त रिपोर्ट में, उम्मीदवारों के कच्चे अंकों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर, कच्चे अंकों को सामान्य करने की सिफारिश की और 10.04.2015 को अपने निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नटराजन द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के उपयोग की सिफारिश की और जहां कहीं भी अंकों के सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है, आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है।

समिति ने अपनी आज की बैठक में बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए कुछ मामलों में यादृच्छिक रूप से आवेदन करके, बोर्ड द्वारा सामान्यीकरण के उक्त फॉर्मूले के आवेदन की जाँच की। समिति ने पाया कि फॉर्मूला सही ढंग से लागू किया गया था।

बैठक की समिति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

संदर्भ:-

1. नटराजन, वी. और गुणसेकरन, के. (1986), एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, दिल्ली द्वारा प्रकाशित।
2. डीबी सिविल विशेष अपील संख्या 1695/2014, 1696/2014, 75/2015, 121/2015, 122/2015, 123/2015, 124/2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय (पृ.12) दिनांक 10.04.2015, 131/2015 और 132/2015।"
19. इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां विशेषज्ञ निकाय की सहायता के बिना, बोर्ड द्वारा मनमाने ढंग से सामान्यीकरण की विधि लागू की गई है और न ही सामान्यीकरण की प्रक्रिया का आवेदन 2019 के नियमों के विपरीत है और न ही कानून के विपरीत है।
20. जहां तक सामान्यीकरण के लिए सुझाए गए और उपयोग किए गए फॉर्मूले का

प्रश्न है, प्रत्यर्थी-बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट की है कि जब परीक्षा चार पालियों में अलग-अलग प्रश्न पत्रों के साथ आयोजित की गई थी, तो हॉक डव प्रभाव या परीक्षक परिवर्तनशीलता को खत्म करने के लिए आवश्यकता अंतिम परिणाम तैयार करने के लिए सामान्यीकरण की विधि को अपनाना आवश्यक हो गया। अतः बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 13.12.2021 प्रकाशित किया गया कि चूंकि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2021 चार पालियों में आयोजित की गई है, इसलिए परिणाम सामान्यीकरण प्रक्रिया के आवेदन के बाद घोषित किया जाएगा। 13.12.2021 को मामले को देखने के लिए उच्च विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सामान्यीकरण के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले को अपनाया गया। समिति ने वी. नटराजन और के. गुणसेकरन द्वारा सुझाए गए प्रसिद्ध और पहले से उपयोग किए गए फॉर्मूले का सुझाव दिया है। विभिन्न परीक्षाओं में, उक्त फॉर्मूले का पालन करने के बाद सामान्यीकरण किया गया है और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इसे बरकरार रखा गया है, उदाहरण के लिए जय सिंह (सुप्रा.) के मामले में।

21. **जय सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [(2011)2 डब्ल्यूएलसी 46]**, के मामले में खंडपीठ ने स्केलिंग प्रणाली की प्रयोज्यता को मंजूरी दे दी, जो कि फॉर्मूला वी. नटराजन और के. गुणासेकरन को लागू करके और यूपी के निर्णय पर भरोसा करके किया गया था। **लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित एवं अन्य [(2003)12 एससीसी 701]**, न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

“44. दरअसल यह कोर्ट उ.प्र. लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित और अन्य: एआईआर 2004 एससी 163 ने स्केलिंग पद्धति को निष्पक्ष पाया है क्योंकि यह परीक्षकों के अंकन मानकों में असंगतता को खत्म करना चाहता है। इस न्यायालय ने कहा:-

"परीक्षकों के प्रत्येक समूह के बीच अंक देने में बहुत बड़ा प्रतिशत अंतर है और इसे स्केलिंग फॉर्मूला लागू करके कम करने की कोशिश की गई थी। यदि स्केलिंग विधि का उपयोग नहीं किया गया था, तो केवल वे उम्मीदवार जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अकेले उदार परीक्षकों द्वारा की गई थी। चयनित हो जाएंगे और जिन अभ्यर्थियों की उत्तर

पुस्तिकाओं की जांच सख्त परीक्षकों द्वारा की गई थी, उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा, हालांकि उनके उत्तरों का मानक कुछ हद तक समान हो सकता है। परीक्षकों के अंकन मानकों में असंगतता को खत्म करने के उद्देश्य से स्केलिंग प्रणाली को अपनाया गया था।

26. संजय सिंह (सुप्रा.) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, उचित परिणाम पर पहुंचने के लिए भिन्नता के संदर्भ पर विचार करने के लिए स्केलिंग का सहारा लिया गया। यह विवाद नहीं है कि आरएएस परीक्षा और अधीनस्थ सेवा परीक्षा में, 1993 से स्केलिंग की पद्धति का सहारा लिया गया था। महेश कुमार खंडेलवाल (सुप्रा.) मामले में, इस न्यायालय ने इसी तरह के तथ्यों में आयोग की कार्रवाई को बरकरार रखा है और शीर्ष अदालत ने एसएलपी को तुरंत खारिज कर दिया।

27. राजस्थान लोक सेवा आयोग वि.सं. रमेश चंद्र पिलवाल (सुप्रा.) ने भी, इस न्यायालय ने महेश कुमार खंडेलवाल (सुप्रा.) के निर्णय पर भरोसा करते हुए स्केलिंग की विधि को मंजूरी दे दी। इस प्रकार लगातार, इस न्यायालय ने इस पद्धति को मंजूरी दी है आयोग द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा में स्केलिंग। धनपत माली बनाम आरपीएससी एवं अन्य में इस न्यायालय का निर्णय, दिनांक 27.10.2009 के आदेश द्वारा तय किए गए अन्य रिट आवेदनों के साथ-साथ आरजेएस नियम, 2005 के संबंध में है, जिसमें संजय सिंह (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से आकर्षित होता है क्योंकि प्रश्न-पत्र सभी उम्मीदवारों के लिए समान थे। जबकि आरएएस और अधीनस्थ सेवा परीक्षा में बड़ी संख्या में उपलब्ध वैकल्पिक विषयों को देखते हुए स्केलिंग को स्वीकार्य माना गया था। रमेश चंद्र पिलवाल (सुप्रा.) में निर्णय का अनुपात तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने सामान्य पद और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय उपलब्ध नहीं थे। इस

प्रकार, उपरोक्त मामले में अनुपात के संचालन के लिए अलग-अलग क्षेत्र हैं।

28. सदानंद हेलो एवं अन्य बनाम मुमताज अलीशेख एवं अन्य, (2008) 4 एससीसी 619 में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भर्ती की वैधता का आकलन सूक्ष्म विवरण के आधार पर नहीं किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से सफल/असफल उम्मीदवारों का नमूना सर्वेक्षण कराना भी उचित नहीं था। अदालत को पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्णय लेना होगा। इस न्यायालय द्वारा कोई गहन पूछताछ नहीं की जा सकती।

29. जब हम याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अनुरोध पर विचार करते हैं कि स्केलिंग विधि के आवेदन के कारण बेतुके परिणाम हुए हैं, तो जो चार्ट विचार के लिए रखा गया है, वह इंगित करता है कि जिस व्यक्ति ने औसत से कम प्राप्त किया है अंकों के अनुपात में अंक दिये गये थे तथा जिसने अधिक अंक प्राप्त किये थे, स्केलिंग विधि लागू कर उसके अंक कम कर दिये गये थे। स्केलिंग की जिस पद्धति का सहारा लिया गया है उसमें एकरूपता है। इस न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने भी तथ्यात्मक रूप से पाया है कि प्रयुक्त स्केलिंग का फार्मूला सही है और प्रत्येक विषय के लिए समान स्केलिंग लागू की गई है। प्रत्येक परीक्षक के लिए समान स्केलिंग लागू की गई है। फार्मूला संचालित करते समय कोई गणना संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई।

30. इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर और अन्यथा भी याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता यह संकेत देने में असमर्थ थे कि फॉर्मूला गलत तरीके से लागू किया गया था ताकि एक भी उम्मीदवार को अनुचित लाभ मिल सके। उनके तर्क का मुख्य जोर यह था कि स्केलिंग फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता था जिसे हमने कम योग्यता वाला पाया है। आयोग के

भविष्य के मार्गदर्शन के लिए समिति द्वारा कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संजय सिंह (सुप्रा.) मामले में भी देखा है कि स्केलिंग फॉर्मूले का आगे अध्ययन किया जाना चाहिए और अनुचित तरीके से तथ्य पर लागू किया जाना चाहिए। सतत अध्ययन करना होगा।

34. याचिकाकर्तागण की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि चयनित उम्मीदवारों की रैंकिंग में भिन्नता पैदा की गई है जिससे बेतुके परिणाम सामने आए हैं। हमने सूत्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि इसे समान रूप से लागू किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने बेतुके परिणाम दिए हैं, बल्कि इसने सभी विषयों का औसत माध्य निकाला है। वैकल्पिक विषयों और प्रश्नपत्रों तथा बड़ी संख्या में परीक्षकों को देखते हुए सभी विषयों का मानक विचलन करना आवश्यक था। यह नहीं कहा जा सकता है कि विषय भिन्नताओं के लिए स्केलिंग करते समय परीक्षकों की विविधता के लिए मॉडरेशन लागू किया जाना चाहिए था। हमारी राय में, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा स्केलिंग पद्धति को सही तरीके से लागू किया गया है। अनिवार्य प्रश्नपत्रों में विषयवार नहीं बल्कि परीक्षकवार स्केलिंग की गई है। जहां वैकल्पिक विषयों में एक ही परीक्षक था, वहां परीक्षकवार स्केलिंग नहीं की गयी है। इसका सहारा वहां लिया गया है जहां वैकल्पिक पेपरों में एक से अधिक परीक्षक थे और वैकल्पिक पेपरों की विषय-वार स्केलिंग की गई है जो अनुमेय है।

35. हासिल किया जाने वाला उद्देश्य वैकल्पिक विषयों को चुनने वाले सभी उम्मीदवारों को एक समान स्कोर पर लाना था। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की विषय दक्षता का परीक्षण करना नहीं है, बल्कि उम्मीदवार की सामान्य योग्यता का निरीक्षण करना है। इस प्रकार, स्केलिंग को वैकल्पिक विषयों में बिना किसी विचलन के समान रूप से लागू किया गया है।

39. हमारी राय में, स्केलिंग विधि नियमों के संचालन से विस्थापित नहीं होती है, हालांकि नियम के तहत स्केलिंग प्रदान नहीं की जाती है, साथ ही उचित परिणाम पर पहुंचने के लिए, आयोग शीर्ष द्वारा निर्धारित किसी भी उचित विधि या सूत्र को विकसित कर सकता है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम न्यायालय बालोजी बधावथ एवं अन्य, (2009) 5 एससीसी 1। उच्चतम न्यायालय ने माना कि आयोग, जिसका गठन भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार किया गया है, राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य है। राज्य द्वारा बनाये गये नियम, हालाँकि, परीक्षा के संचालन के लिए प्रक्रिया विकसित करना स्वतंत्र है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के साथ-साथ निष्पक्ष खेल के ज्ञात सिद्धांतों का पालन करते हुए, यह संवैधानिक आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह से अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। आयोग उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन कैसे करेगा, यह उसका कार्य है। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है:

“25. आयोग उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन कैसे करेगा यह उसका कार्य है। जब तक इसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मनमाना या निष्पक्ष खेल के ज्ञात सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं माना जाता है, तब तक वरिष्ठ अदालतें आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। राज्य ने एस. जाफ़ीर साहब के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में नियम बनाये। वस्तुतः, इसने कोई अवैधता नहीं की। उक्त निर्णय की सत्यता, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, अंतिम रूप प्राप्त होने पर प्रश्नचिह्न नहीं है। हालाँकि, मामला अलग होगा यदि उक्त नियम स्वयं भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार किसी को भी नियुक्त होने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह केवल उस पर विचार किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह के अधिकार पर विचार

करने के तरीके और तरीके को निर्धारित करने के लिए विकसित की गई प्रक्रिया में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब यह मनमाना, भेदभावपूर्ण या पूरी तरह से अनुचित हो।

(बल दिया गया)

22. याचिकाकर्तागण ने जयरुद्दीन शेख (सुप्रा.) के निर्णय का हवाला दिया है, जहां आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भर्ती एजेंसी को सामान्यीकरण सिद्धांत का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। उस मामले के तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने देखा कि अंकों के मूल्यांकन के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया जी.ओ. सुश्री संख्या 67 दिनांक 26.10.2018 द्वारा विज्ञापन में ही निर्धारित की गई है। याचिकाकर्तागण ने कभी भी निर्धारित धारा को चुनौती नहीं दी। इसलिए, इस तरह के निर्णय से याचिकाकर्तागण को कोई मदद नहीं मिलती है। इसके विपरीत, इस निर्णय में, न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम रमेश चंद्र पिलवाल [1997 (2) आरएलडब्ल्यू 1348 राजस्थान] के मामले में दिए गए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया और न्यायालय ने निम्नानुसार माना :-

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सामान्यीकरण के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 और उसमें बनाए गए प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सामान्यीकरण और मॉडरेशन की तकनीक के निर्णय के रूप में इस मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, जब योजना पहले ही खंडपीठ द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि, मॉडरेशन/सामान्यीकरण और स्केलिंग की अवधारणा को वी. नटराजन और के. गुणसेकरन द्वारा लिखित पुस्तक स्केलिंग-तकनीक-क्या, क्यों और कैसे में समझाया गया है, जिसमें लेखकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि पारंपरिक परीक्षा प्रणाली की शिक्षकों, प्रशासकों, छात्रों और जनता द्वारा समान रूप से आलोचना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा प्रणाली में सुधार पेश किए गए हैं। पुस्तक के माध्यम से अंकों की ऐसी गलत धारणाओं और अंक रिपोर्टिंग की स्व-परंपरा से निपटने के

लिए स्केलिंग की एक प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया गया है। भारत में स्केलिंग तकनीक को पहली बार 1963 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. एच.जे. टेलर द्वारा अपनाया गया था। यह प्रणाली जब भी और जहां भी परिस्थिति आवश्यक हो, लागू की गई है। यदि अंकों के विभिन्न सेटों को जोड़ा जाना है और/या तुलना की जानी है, तो उन्हें एक सामान्य मानक पर स्केल करने की आवश्यकता है जहां ऐसे मानक की कमी है। स्केलिंग का मामला बड़े पैमाने पर आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू किया जा सकता है जिनके परिणाम हजारों छात्रों के लिए मायने रखते हैं। स्केलिंग शब्द का अर्थ है अंकों का एक सामान्य मानक के अनुसार समायोजन। जहां स्क्रिप्ट को यादृच्छिक किया जाता है वहां यह बेहतर परिणाम देता है, हालांकि, पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि सी-लाइन की इस तकनीक को 33000 से अधिक उम्मीदवारों को कवर करने वाली एक प्रमुख परीक्षा में व्यावहारिक दिखाया गया है। लेकिन, ये आंकड़ा महज एक उदाहरण था। यह 33000 के आंकड़े में कटौती को ठीक करने का कोई कारण नहीं बताता है। स्केलिंग की पारंपरिक अवधारणा और वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने की अनुमति देने वाले स्केलिंग के विभिन्न तरीके उक्त पुस्तक में निहित हैं।

हालाँकि, संघ लोक सेवा आयोग ने इस तकनीक को लंबे समय से अपनाया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इसे पहली बार वर्ष 1993 में अपनाया है, जिसे महेश कुमार खंडेलवाल (सुप्रा.) के मामले में खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उस तकनीक के अनुप्रयोग पर विचार करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने विभिन्न मानकों और विभिन्न प्रकार की स्कोरबिलिटी के साथ विभिन्न वैकल्पिक पेपर लिए थे, तो मॉडरेशन/मानकीकरण की आवश्यकता जरूरी हो गई थी। महेश कुमार खंडेलवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1994 (1) आरएलआर 533 के मामले

में मॉडरेशन और सामान्यीकरण की अवधारणा पर पहले ही विचार और स्वीकार किया जा चुका है। सुरजीत कुमार दास बनाम अध्यक्ष, यू.पी.एस.सी. मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। 1986 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 14000 और 15251, 11.3.1987 को निर्णय इस प्रकार लिया गया:

इस प्रकार हम यह मानते हैं:

- (1) रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में सुनवाई योग्य नहीं थी;
- (2) पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोप स्थापित नहीं किए गए हैं; (3) अध्यक्ष ने परीक्षा में मॉडरेशन की तकनीक लागू करने में कोई अवैधता नहीं की है;
- (4) विद्वान एकल न्यायाधीश यह मानने में सही नहीं थे कि मॉडरेशन की तकनीक केवल उन परीक्षाओं में लागू की जा सकती है जहां उम्मीदवारों की संख्या 33000 या अधिक है;
- (5) मॉडरेशन की तकनीक के आवेदन के संबंध में जांच उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से परे है क्योंकि निर्णय परीक्षा आयोजित करने वाले एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिया गया है, खासकर तब जब यह एक संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया गया हो। जिसे किसी भी प्रकार की दुर्भावना से स्थापित नहीं किया जा सकता।"

(बल दिया गया)

23. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पर गौर करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां बोर्ड ने अपने दम पर और विशेषज्ञ समिति की सहायता के बिना सामान्यीकरण की तकनीक लागू की है। बोर्ड ने परीक्षा की योजना पर विचार करते हुए सामान्यीकरण के उद्देश्य के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक तकनीक/सूत्र का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए सामान्यीकरण की तकनीक और विशेषज्ञ समिति के क्षेत्र के आधार पर कार्य किया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि वी. नटराजन और के. गुणसेकरन द्वारा सुझाए गए एक

प्रसिद्ध और अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले को लागू किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न समान प्रकार की परीक्षाओं में किया गया है और उच्च न्यायालयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। विभिन्न मामलों में सुनाए गए उच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है। इनमें से एक मामला जय सिंह का मामला (सुप्रा.) है।

24. यह देखा जा सकता है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट चुनौती के अधीन नहीं है और न ही यह न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और न ही बैठ सकता है। ऐसा सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम.साथिया प्रिया और अन्य [(2018) 15 एससीसी 796], बसवैया (डॉ.) बनामा डॉ. एच.एल. रमेश के मामले में रखा गया है। (2010)8 एससीसी 372], न्यायालय ने माना कि:**

"अदालतों की भूमिका बहुत सीमित होती है, खासकर तब जब चयन समिति का गठन करने वाले विशेषज्ञों के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया हो। आमतौर पर अदालतों के लिए निर्णय शिक्षाविदों और विशेषज्ञों पर छोड़ना विवेकपूर्ण, स्वस्थ और सुरक्षित होगा। सैद्धांतिक रूप से, अमित कुमार बनाम म.प्र. लोक सेवा आयोग रिट याचिका संख्या 12314/2018 दिनांक 25.06.2018 में उम्मीदवारों को विशेषज्ञों के निर्णयों पर अपील में बैठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न्यायालयों को इसकी बाधाओं और सीमाओं को समझना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए शैक्षणिक मामले।"

उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय विशेषज्ञ समिति की सलाह और सुझाव के अनुसार सामान्यीकरण की प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा लागू किए गए फॉर्मूले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

25. याचिकाकर्तागण के मामले में आते हुए कि पहली पाली और चौथी पाली के बीच उम्मीदवारों के चयन के प्रतिशत में बड़े अंतर के कारण, चौथी पाली में उपस्थित होने वाले याचिकाकर्तागण को शत्रुतापूर्ण भेदभाव के तहत रखा गया है, इस न्यायालय ने पाया कि

प्रत्यर्थी-बोर्ड विशेषज्ञों की समिति की सहायता लेने के बाद, सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पूरी प्रामाणिकता और निष्पक्षता के साथ लागू किया। स्केलिंग का फार्मूला चारों पालियों के सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू किया गया है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसे सूत्र को लागू करने से परिणाम में भिन्नता आई है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से कोई मनमानी या भेदभाव नहीं किया गया है। इस प्रकार, भले ही कोई भिन्नता उत्पन्न हुई हो, उस कारण से, सामान्यीकरण की प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यह सिद्धांत जय सिंह के मामले (सुप्रा.) में निर्धारित किया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30% आरक्षण उपलब्ध है और अगली तारीख अर्थात् 24.10.2021 को धार्मिक त्योहार "करवा चौथ" के कारण 23.10.2021 को पहली और दूसरी पाली में अधिकतम महिला उम्मीदवारों को समायोजित किया गया था। यह संयोगवश और बेतरतीब ढंग से किया गया था। इसलिए, चौथी पाली की तुलना में पहली पाली में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या में भिन्नता स्पष्ट है। इसके अलावा प्रत्यर्थी-बोर्ड ने अतिरिक्त शपथ-पत्र में तथ्यात्मक परिदृश्य को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है:-

“इस बात से इनकार किया गया है कि परीक्षा के पहले बैच में 85%-90% महिला उम्मीदवारों की भागीदारी थी। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। चारों पालियों में अभ्यर्थियों का आवंटन लगभग बराबर रहा। पहली पाली में 3,86,514 अभ्यर्थी थे, जिनमें से लगभग 43.02% पुरुष और 56.97% महिलाएँ थीं, यदि इस अनुपात को उपस्थित अभ्यर्थियों पर लिया जाए तो यह 42.84% और 57:15% होता है। तो इससे यह तो साफ हो जाता है कि लगाया गया आरोप बेबुनियाद आरोप है। करवा चौथ के कारण महिला (धौलपुर और अलवर के अभ्यर्थी को छोड़कर) को सहानुभूतिपूर्वक 23.10.2021 की पाली आवंटित की गई। धौलपुर और अलवर जिले के संबंध में अपवाद वहां के स्थानीय निकायों के चुनावों के कारण किया गया था, इसलिए कानून के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करना परीक्षा संचालन प्राधिकारी के लिए बाध्यता थी। अतः धौलपुर एवं अलवर के

सभी अभ्यर्थियों को 24.10.2021 की परीक्षा शिफ्ट आवंटित की गई।

विनम्र उत्तर देने वाले प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई दुर्भावनापूर्ण या मनमाना आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट है कि आवंटन लगभग समान संख्या में उम्मीदवारों में किया गया था। शिफ्ट IV के परिणाम में कमी का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के संबंध में आधार यह था कि पहली पाली में जहां सबसे अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, उस पाली में 85% - 90% महिला अभ्यर्थी उपस्थित हुईं। दूसरी पाली का चयन प्रतिशत प्रथम पाली के चयन प्रतिशत से कम है। हालांकि पहली पाली की तुलना में दूसरी पाली में अधिक महिला अभ्यर्थी शामिल हुईं। सभी शिफ्टों का वास्तविक चयन प्रतिशत है: (i) 33.9, (ii) 30.3, (iii) 22.17, (iv) 13.89। रिट याचिका में दिए गए प्रतिशत के आंकड़े उचित नहीं हैं।

I शिफ्ट और IV शिफ्ट के परिणामों के बीच अंतर सिर्फ परीक्षा के प्रश्न-पत्र के कठिनाई स्तर के कारण है। तीसरी और चौथी शिफ्ट में चयन प्रतिशत में बड़ी गिरावट देखी गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि इन दोनों पालियों में लगभग 95% से 96% पुरुष उम्मीदवार थे। इस प्रकार, उपरोक्त सादृश्य से यह स्पष्ट है कि यह केवल प्रश्न-पत्र का कठिनाई स्तर है जिसने प्रत्येक पाली से चयन प्रतिशत में अंतर में भूमिका निभाई। हॉक-डव प्रभाव से बचने के लिए परीक्षक चर की स्थिति में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कठिनाई स्तर को बराबर करने के लिए सामान्यीकरण किया जाता है।

प्रत्येक पाली में प्रश्न-पत्र के कठिनाई स्तर का आकलन करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी के कच्चे अंकों के साथ-साथ अन्य डेटा का आकलन किया जा रहा है, उसके बाद प्रत्येक पाली के लिए एक तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जा रहा है और गहन गणना के बाद प्रत्येक पेपर के लिए कठिनाई स्तर का आकलन किया जा रहा है।

याचिकाकर्तागण की ओर से अतिरिक्त शपथ-पत्र में अंकों की

कटौती और बढ़ोतरी का वर्णन किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अंकों की कटौती और वृद्धि केवल प्रश्न-पत्र के कठिनाई स्तर के कारण होती है

शिफ्टों के आवंटन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना, अनुचितता या मनमाने तरीके के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है, सिवाय इसके कि अधिकांश महिला उम्मीदवारों को 23.10.2021 की शिफ्ट आवंटित की गई है। शिफ्टों का आवंटन वर्णमाला क्रम के अनुसार किया गया था जो यादृच्छिक आवंटन के बराबर है। हर आवंटन में पारदर्शिता बरती गई है। इस आवंटन को किसी भी तरह से पक्षपाती आवंटन नहीं कहा जा सकता। महिलाओं का आवंटन सहानुभूतिपूर्ण और उचित कारण से किया गया था, जिसे किसी भी दुर्भावनापूर्ण कारण का नाम नहीं दिया जा सकता है, यहां तक कि आवंटन वर्णमाला क्रम के अनुसार किया गया था। उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी का सार्वजनिक पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करना संवैधानिक दायित्व है। वर्तमान मामले में, उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी ने प्रक्रिया को निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने का प्रयास किया है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम कुछ उम्मीदवारों का चयन और शेष को विचार क्षेत्र से बाहर करना है। उत्तर देने वाला प्रत्यर्थी प्रत्येक उम्मीदवार की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि संवैधानिक दायित्व के अनुसार, उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी को निष्पक्षता अपनानी होगी। निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया।”

26. यहां ऊपर की गई चर्चा के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्तागण को शत्रुतापूर्ण भेदभाव का सामना करने का मामला केवल पहली पाली और चौथी पाली में चयनित उम्मीदवारों के बीच भिन्नता के कारण सिद्ध नहीं होता है। चतुर्थ पाली में अभ्यर्थियों का आवंटन वर्णानुक्रम में किया गया, दो जिलों अलवर एवं धौलपुर के अभ्यर्थियों को छोड़कर, ऐसे जिलों में पंचायत चुनाव होने के कारण दिनांक 23.10.2021 को महिला अभ्यर्थियों का उनके वर्णानुक्रम में समायोजन आकस्मिक है, क्योंकि महिलाओं

का धार्मिक त्यौहार "करवा चौध" 24.10.2021 को। ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की ओर से न तो चौथी पाली में अभ्यर्थियों के आवंटन में और न ही विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई सामान्यीकरण की विधि/तकनीक को लागू करने में कोई मनमानी या अनियमितता हुई है और इसे समान रूप से लागू किया गया है, इसलिए अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई है। बोर्ड को दोषपूर्ण घोषित नहीं किया जा सकता. केवल इसलिए कि याचिकाकर्तागण की घोषणा नहीं की गई है। सफल, जो चौथी पाली में उपस्थित हुए और चौथी पाली का परिणाम पहली पाली या अन्य पाली के परिणाम की तुलना में प्रतिशत में कम रहता है, तो अंतिम परिणाम रद्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण के शत्रुतापूर्ण भेदभाव का मामला सिद्ध नहीं होता है और स्वीकार्य नहीं है।

27. इसलिए, तथ्यात्मक और कानूनी पहलू की चर्चा पर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां सामान्यीकरण प्रक्रिया का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग मनमाना है और 2019 के नियमों का उल्लंघन करता है या कानून के विपरीत है, बल्कि यह सामने आया है कि प्रत्यर्थी-बोर्ड ने समान रूप से और उच्च विशेषज्ञों की समिति के सुझाव के अनुसार सामान्यीकरण की विधि/तकनीक का पालन किया, जो न तो इसके विपरीत है और न ही कानून में अस्वीकार्य है। तदनुसार, याचिकाकर्तागण के विरुद्ध बिंदु संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक दिया गया है।

मुद्दा संख्या - II

28. जहाँ तक परीक्षा के कठिन स्तर को समान करने और सभी अभ्यर्थियों को समान स्तर प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा सामान्यीकरण की पद्धति को लागू करने के संबंध में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश है, जहाँ निर्विवाद रूप से अलग-अलग प्रश्नों के साथ चार अलग-अलग पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। हाल ही में, **अतुल कुमार द्विवेदी** (सुप्रा.) द्वारा **सुभाष चंद्र दीक्षित** (सुप्रा.), **संजय सिंह** (सुप्रा.) और **महिंदर कुमार** (सुप्रा.) और **सुनील कुमार** (सुप्रा.) के मामले में निर्णयों पर पिछली पंक्ति पर भरोसा करने के मामले में, यह माना गया है जहां सामान्यीकरण प्रक्रिया को अपनाने के लिए भर्ती एजेंसी के खिलाफ कोई सद्भावना की कमी या दुर्भावना का आरोप नहीं है, वहां रिट अदालत द्वारा हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

अतुल कुमार द्विवेदी (सुप्रा.) के निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

“निष्कर्ष में, बोर्ड द्वारा की गई कवायद और प्रारंभिक चरण में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाना, अर्थात् भर्ती नियमों के नियम 15 (बी) के स्तर पर कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप था। बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में थी और जैसा कि उच्च न्यायालय ने जोर दिया था कि प्रक्रिया के किसी भी मोड़ पर दुर्भावना या सद्भावना की अनुपस्थिति का कोई आरोप नहीं था। मामले का एक और पहलू इस न्यायालय द्वारा सुनील कुमार और अन्य बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य (2016) 2 एससीसी 495 [एलक्यू/एससी/2015/1413] के मामले में अपने निर्णय के पैराग्राफ 20 में व्यक्त की गई सावधानी का टिप्पणी है। जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है, लोक सेवा आयोगों सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि सत्ता के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के उदाहरण न सामने आएं।”

29. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, प्रत्यर्थी-बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चार बैचों में उम्मीदवारों का विभाजन उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में किया गया था और सामान्यीकरण की विधि समान रूप से और विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार लागू की गई थी। यह चर्चा पहले ही हो चुकी है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा बोर्ड के निर्णयों और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अपीलीय प्राधिकारी की तरह कार्य करना नहीं है। न्यायालय को शैक्षणिक मामलों में अपनी बाधाओं और सीमाओं को बनाए रखना चाहिए। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने एम. साथिया प्रिया (सुप्रा.) और बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश (सुप्रा.) के मामले में कहा था।

30. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई है और केवल इस तथ्य के आधार पर कि चौथी पाली में उपस्थित अभ्यर्थियों के परिणाम का अनुपात पहली पाली और अन्य दो पालियों में उपस्थित चयनित अभ्यर्थियों के अनुपात से कम है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रत्यर्थी-बोर्ड ने योग्यता सूची तैयार करने के लिए सामान्यीकरण की विधि/तकनीक को लागू करने में दुर्भावनापूर्ण कार्य किया। पहले बैच और चौथे बैच के बीच

सफल उम्मीदवारों के अनुपात में अंतर दिखाने के अलावा, याचिकाकर्तागण द्वारा न तो विशेषज्ञ समिति और न ही बोर्ड के खिलाफ दुर्भावना या सद्भावना की कमी का कोई अन्य आरोप लगाया गया है। पिछले पैराग्राफ में वास्तविक भेदभाव के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है और याचिकाकर्तागण के खिलाफ निर्णय लिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय को परिणाम तैयार करने में बोर्ड की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण या सद्भावना की कमी या अनुचितता नहीं मिली। प्रत्यर्थागण ने अंतिम परिणाम तैयार करने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं किया है। इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा के दायरे में, अंतिम परिणाम में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। तदनुसार, बिंदु संख्या II याचिकाकर्तागण के खिलाफ तय किया गया है।

31. माना जाता है कि, याचिकाकर्तागण वे अभ्यर्थी हैं जो 24.10.2021 को संध्या की चौथी और अंतिम पाली में पटवारी परीक्षा -2021 में उपस्थित हुए थे और दिनांक 25.01.2022 को अनंतिम मेरिट सूची की घोषणा के बाद, सामान्यीकरण के सूत्र/विधि का पालन करते हुए बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार, जब उन्हें अनंतिम योग्यता सूची में अपना रोल संख्या नहीं मिला, तो उन्होंने दिनांक 25.01.2022 की अनंतिम योग्यता सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि सामान्यीकरण के सूत्र/विधि के आवेदन के परिणामस्वरूप प्रतिकूल भेदभाव हुआ है। चौथी पाली के अभ्यर्थियों के लिए यह नियमावली 2019 के विपरीत है, जो मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बोर्ड ने सामान्यीकरण की प्रक्रिया को समान रूप से लागू किया है और वह भी विशेषज्ञ समिति की सहायता लेने के बाद, जो न तो 2019 के नियमों के विपरीत है, न ही मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है और अंतिम परिणाम तैयार करने में बोर्ड की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का कोई उल्लंघन नहीं है।

32. अतः, यहां ऊपर की गई चर्चाओं और कारणों से, यह न्यायालय दिनांक 25.01.2022 की अनंतिम मेरिट सूची और दिनांक 27.05.2022 की अंतिम मेरिट सूची को रद्द करने और परेशान करने का इच्छुक नहीं है। यह भी देखा गया है कि अंतिम चयन सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गयी है तथा यह भी सूचित

किया गया है कि प्रतीक्षा सूची के रिक्त पदों पर केवल कुछ ही नियुक्तियाँ की जानी हैं। प्रत्यर्थी-बोर्ड प्रतीक्षा सूची संचालित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

33. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएँ विफल हो गईं और उन्हें खारिज कर दिया गया।

34. स्टे आवेदन और कोई अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

TN/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।